UPSP010098242015

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।
उपस्थितः विकास गुप्ता, (एच 0 जे0 एस 0)
सत्र परीक्षण संख्या–652/2015

राज्य बनाम प्रमोद कुमार पुत्र तेजपाल सिंह
निवासी ग्राम नन्दपुर, थाना–रामपुर मनिहारान,
जिला सहारनपुर।
अपराध संख्या–204/2012
धारा–302, 120 बी भा.दं.सं.,
थाना– रामपुर मनिहारान, जिला सहारनपुर।

निर्णय

1. अभियुक्त प्रमोद कुमार का परीक्षण मुकदमा अपराध संख्या–204/2012 में विवेचना के पश्चात प्रेषित आरोप पत्र प्रदर्श क–15 अन्तर्गत धारा 302, 120 बी भारतीय दण्ड संहिता के आरोप में किया गया है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त कथन इस प्रकार है कि पी.डब्लू.–1 वादी मुकदमा आजाद द्वारा दिनांक 23.06.2012 को थाना रामपुर मनिहारान में लिखित तहरीर **प्रदर्श क–1** इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि उसका बड़ा भाई विकास कुमार जो डी.जे. बजाने का काम करता है। दिनांक 21/22.06.2012 की रात्रि में प्रवीण पुत्र मांगेराम जो उनके ही गांव का रहने वाला है, के यहां डी.जे. बजाने गया था। सुबह उसका भाई उसके ही घर के आंगन में लेटा पाया, दरवाजा बन्द था। उसकी बुआ गीता जो दो–तीन दिन पहले अपनी ससुराल से आयी हुई थी, उसने उठाने की सुबह करीब 5 बजे कोशिश की, नहीं उठा। जिसको प्रवीण कुमार पुत्र इलम सिंह व पूरन सिंह तथा वह सरकारी अस्पताल रामपुर लाये। डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिसको वह लोग घर वापस ले गये। उसके घर पर चोट का निशान था। कल उन लोगों ने पी.एम. कराने के बाद दाह संस्कार कर दिया। रिपोर्ट लिखकर जांच कर आवश्यक कार्यवाही करे की कृपा करें।

3. वादी मुकदमा आजाद द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना रामपुर मनिहारान की पुलिस द्वारा अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–204/2012 अन्तर्गत धारा–304 भारतीय दण्ड संहिता में मुकदमा पंजीकृत किया गया जिसकी कायमी जी0 डी0 नकल–रपट संख्या–18 समय 09.10 बजे दिनांकित 23.06.2012 पर की गयी। अन्वेषण हेतु मुकदमा तत्कालीन उपनिरीक्षक रामपुर मनिहारान कचन सिंह उपाध्याय को सुपुर्द हुआ, जिनके द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शानजरी प्रदर्श क–20 तैयार किया गया। निरीक्षक वेगपाल सिंह द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार की निशादेही पर हत्या में प्रयुक्त केबिल की बरामदगी कर फर्द बरामदगी प्रदर्श क– 18 व बरामदगी स्थल

का नक्शानजरी प्रदर्श क–17 तैयार किया गया। विवेचक नरेन्द्र कुमार द्वारा अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर दिनांक 13.03.2015 को अभियुक्त प्रमोद कुमार के विरुद्ध धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत आरोप पत्र प्रदर्श क–15 प्रस्तुत किया गया जिस पर न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 27.04.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया।

4. वादी मुकदमा आजाद सैनी द्वारा दिनांक 16.07.2013 को थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर में एक अन्य लिखित तहरीर **प्रदर्श क–3** इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 21/22.06.2012 की रात्रि में उसके भाई विकास सैनी की घर में हत्या कर दी गयी थी जिसका उसके द्वारा अज्ञात में मुकदमा कायम कराया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने विकास सैनी की मृत्यु को आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की थी इस कारण इन लोगों ने न्यायालय के माध्यम से गांव के शिवकुमार, राजकुमार, प्रमोद व बालचन्द्र प्रवीण, जितेन्द्र, तरूण उर्फ हल्लू के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखायी थी जिसकी विवेचना एस.ओ. रामपुर द्वारा की जा रही थी। कल दिनांक 15.07.2013 को दिन के समय करीब 2 बजे जब वह अपने पिता पूरन सिंह व ताऊ तेजपाल, के घर के बैठे थे तभी हरियाणा की काले रंग की सेन्ट्रो कार आकर रुकी तथा उसमें से गांव का प्रधान शिवकुमार उसका भतीजा प्रमोद पुत्र तेजपाल व गांव सागरखेड़ा का मुरसलीन पुत्र कासा उतरे और शिवकुमार ने आकर चारपाई पर बैठे हुए उसके ताऊ तेजपाल के दोनों पैर चारपाई के पास बैठकर पकड़ लिये और बिरदरी, प्रधानी व उम्र का वास्ता देते हुए कहा कि तेजपाल तू मेरे बाप के समान है लड़का आजाद मेरे बेटे के समान है तथा पूरण मेरे भाई जैसा है मेरे भतीजे प्रमोद से बहुत बड़ी गलती व पाप हुआ है। उसने सुदबुद्धि का परिचय न देते हुए गुस्से में आकर मुरसलीम के साथ मिलकर विकास की तुम्हारे घर में पड़े बैड पर केबिल से गला घोंटकर हत्या की है। बात काफी दिन पुरानी हो चुकी है। मुकदमे से दोनों परिवारों में से किसी का भी भला नहीं होगा, दुशमनी भी बनेगी। हम तीनों को काली गाय समझकर माफ कर दो हम इस बात का अहसान सारी उम्र रखेंगे। उन तीनों ने जब यह बात सुनी तो उनके पैरो के नीचे से जमीन खिसक गई और उन तीनों को किसी तरह टाला तथा बताया कि मुकदमे की विवेचना एस.ओ. रामपुर कर रहे हैं। अपनी बात उनसे कहो अब उसे पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके भाई विकास की हत्या दिनांक 22.06.2012 की रात में ही उसके ही घर में प्रमोद पुत्र तेजपाल व मुरसलीन पुत्र कासा ने की है। उसके प्रार्थनापत्र को उसकी गवाही मानते हुए इन तीनों हत्यारों को जेल भेजकर उम्रकैद कराने की कृपा करें।

5. इसके अतिरिक्त वादी एवं मृतक के पिता प्रार्थी पूरण सिंह द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. के माध्यम से न्यायालय के आदेश दिनांक 28.07.2012 द्वारा अभियुक्तगण प्रवीण पुत्र मांगेराम, जितेन्द्र पुत्र कलीराम, तरुण उर्फ हल्लू पुत्र प्रेमचन्द, बालचन्द पुत्र सन्दल, शिवकुमार पुत्र तेलूराम, राजकुमार पुत्र तेलूराम व प्रमोद पुत्र तेजपाल के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 204 ए/सी धारा 302, 201, 120 बी भा.दं.सं. दिनांक 09.09.2012 को पंजीकृत किया गया, जिसकी चिक.एफ.आई.आर. पर **प्रदर्श क–16** डाला गया है।

6. उल्लेखनीय है कि दौरान विवेचना विवेचक द्वारा पर्चा संख्या 17 ए दिनांकित 10.09.2012 (0553955) में मुकदमा अपराध संख्या 204/2012 अंतर्गत धारा 304 भा.दं.सं. एवं मुकदमा

अपराध संख्या 204ए/2012 अंतर्गत धारा 302, 201, 120 बी. भा.दं.सं. को मुकदमा अपराध संख्या 204/2012 अंतर्गत धारा 302, 201, 120 बी. भा.दं.सं. के साथ संलग्न कर दिया गया था एवं अग्रिम विवेचना मुकदमा अपराध संख्या 204/2012 बनाम प्रवीण आदि में ही किया जाना अंकित किया गया है।

7. अभियुक्तगण शिवकुमार व मुर्सलीन को प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 319 दं.प्र.सं. पर पारित न्यायालय के आदेश दिनांकित 14.02.2020 द्वारा धारा 302, 120 बी भा.दं.सं. में तलब किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्त शिवकुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दाण्डिक निगरानी संख्या 1487/2020 योजित की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 30.09.2020 द्वारा अभियुक्त शिवकुमार के विरुद्ध कोई बाध्यकारी कार्यवाही न किये जाने तथा अभियुक्त मुर्सलीन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में योजित दाण्डिक निगरानी संख्या 878/2020 में दिनांक 09.07.2020 द्वारा अभियुक्त मुर्सलीन के विरुद्ध बाध्यकारी कार्यवाही न किये जाने के आदेश के अनुपालन में न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2022 द्वारा अभियुक्त शिवकुमार पुत्र तेलूराम व मुर्सलीन पुत्र कासा की पत्रावली शेष अभियुक्त प्रमोद से पृथक की गयी।

8. विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के द्वारा अभियुक्त प्रमोद द्वारा किया गया अपराध सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के कारण वाद दिनांक 08.09.2015 को सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। पत्रावली अंतरण द्वारा इस न्यायालय को प्राप्त हुयी। दौरान विचारण अभियुक्त जमानत पर है।

9. विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा अभियुक्त प्रमोद के विरुद्ध धारा–302, 120 बी. भारतीय दण्ड संहिता के अपराध हेतु दिनांक 21.01.2016 को आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त को आरोप पढ़कर सुनाया व समझाया गया, जिससे अभियुक्त ने इन्कार किया और विचारण की मांग की।

10. अभियोजन की ओर से अपने कथनो के समर्थन में बतौर प्रलेखीय साक्ष्य निम्नलिखित प्रपत्रो को प्रस्तुत व साबित किया गया हैः–

क्रम सं०	**अभियोजन प्रपत्र**	**प्रदर्श**	**साबित करने वाले साक्षी का नाम**
1	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1	पी.डब्लू–1 आजाद सिंह
2	बयान आजाद सिंह अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं	प्रदर्श क–2	पी.डब्लू–1 आजाद सिंह
3	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–3	पी.डब्लू–1 आजाद सिंह
4	बयान पूरण सिंह अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं.	प्रदर्श क–4	पी.डब्लू–3 पूरण सिंह
5	शपथपत्र पूरण सिंह	प्रदर्श क–5	पी.डब्लू–3 पूरण सिंह
6	शपथपत्र पूरण सिंह	प्रदर्श क–6	पी.डब्लू–3 पूरण सिंह
7	चिक.एफ.आई.आर. मु.अ.सं.–204/2012	प्रदर्श क–7	पी.डब्लू–4 उपनिरीक्षक रमेश चन्द्र
8	जी.डी. की कार्बन प्रति मु.अ.सं.–204/2012	प्रदर्श क–8	पी.डब्लू–4 उनि० रमेश चन्द्र
9	पोस्टमार्टम रिपोर्ट	प्रदर्श क–9	पी.डब्लू–5 डॉ० जे.के. निगम
10	पंचायतनामा	प्रदर्श क–10	पी.डब्लू–6 रिटायर्ड उनि० सुरेश चन्द्र शर्मा

11	चालान लाश	प्रदर्श क–11	पी.डब्लू–6 रिटायर्ड उनि० सुरेश चन्द्र शर्मा
12	फोटो लाश	प्रदर्श क–12	पी.डब्लू–6 रिटायर्ड उनि० सुरेश चन्द्र शर्मा
13	चिट्ठी आर.आई.	प्रदर्श क–13	पी.डब्लू–6 रिटायर्ड उनि० सुरेश चन्द्र शर्मा
14	चिट्ठी सी.एम.ओ.	प्रदर्श क–14	पी.डब्लू–6 रिटायर्ड उनि० सुरेश चन्द्र शर्मा
15	आरोपपत्र संख्या 37/2015	प्रदर्श क–15	पी.डब्लू– 7 रिटायर्ड उनि० नरेन्द्र कुमार
16	चिक एफ.आई.आर. मुकदमा अपराध संख्या– 204ए/2012	प्रदर्श क–16	पी.डब्लू– 8 हेड कांस्टेबल 143 मुनेन्द्र कुमार
17	नक्शानजरी अभियुक्त द्वारा मृतक को ले जाते हुए देखना	प्रदर्श क–17	पी.डब्लू– 9 निरीक्षक एम.एस.गिल
18	फर्द बरामदगी आलाकत्ल	प्रदर्श क–18	पी.डब्लू– 10 निरीक्षक वेगपाल
19	नक्शानजरी बरामदगी	प्रदर्श क–19	पी.डब्लू– 10 निरीक्षक वेगपाल
20	नक्शानजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–20	पी.डब्लू– 10 निरीक्षक वेगपाल
21	बयान नीटू अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं.	प्रदर्श क–21	पी.डब्लू– 13 नीटू
22	बयान राजकुमार अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं.	प्रदर्श क–22	पी.डब्लू– 14 राजकुमार

11. अभियोजन की ओर से आरोप सिद्ध करने के उद्देश्य से मौखिक साक्ष्य के अन्तर्गत निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

क्रम संख्या	**साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**
1	पी.डब्लू.–1	आजाद सैनी
2	पी.डब्लू.–2	विपिन कुमार सैनी
3	पी.डब्लू.–3	पूरण सिंह
4	पी.डब्लू.–4	उपनिरीक्षक रमेश चन्द
5	पी.डब्लू.–5	डाक्टर जे.के. निगम
6	पी.डब्लू.–6	रिटायर्ड उपनिरीक्षक सुरेश चन्द शर्मा
7	पी.डब्लू.–7	रिटायर्ड निरीक्षक नरेन्द्र कुमार
8	पी.डब्लू.–8	हेड कांस्टेबल 143 मुनेन्द्र कुमार
9	पी.डब्लू.–9	निरीक्षक एम.एस. गिल
10	पी.डब्लू.–10	निरीक्षक वेगपाल सिंह
11	पी.डब्लू.–11	सुरेश चन्द शर्मा
12	पी.डब्लू.–12	रिटायर्ड निरीक्षक राजपाल सिंह
13	पी.डब्लू. –13	नीटू
14	पी.डब्लू. –14	राजकुमार

12. अभियुक्त की ओर से अपने बचाव हेतु निम्नलिखित साक्षी को परीक्षित कराया हैः–

क्रम संख्या	डी.डब्लू.–01	निरीक्षक धीरेन्द्र मोहन शर्मा

13. मैंने सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

14. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–1 **आजाद सिंह** ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि विकास कुमार मृतक उसका सगा भाई था। वह डी.जे बजाने का कार्य करता था। दिनांक 21/22.06.2012 को रात्रि की बात है। उसका भाई उसके गांव के प्रवीन कुमार के यहां डी.जे. बजाने गया था। वह घर पर ही था. उसने अपने भाई विकास को रात के दस बजे फोन किया तो भाई ने कहा कि तुम लोग लेट जाओ, बाहर का कुण्डा मत लगाना, वह वापस आकर खुद लेट जाएगा। उसकी बुआ गीता है जो दो–तीन दिन पहले अपनी ससुराल से उनके घर पर आयी हुई थी। उन्हें भी उसने बताया था कि भइया आ जाएंगे और कुण्डा मत लगाना। यह बात बताकर वह खेत पर सोने के लिए चला गया था। उसके पिताजी का नाम पूरण सिंह है जो घेर में सोने के लिए चले गये थे। सुबह लगभग पांच–सवा पांच बजे जब वह खेतों से घर आ रहा था तो उसने देखा कि घर के सामने भीड़ इकट्ठा है, फिर उसे डाक्टर सोनू मिला, उसने कहा कि तुम्हारे भईया की तबियत खराब है, उसे रामपुर सरकारी अस्पताल ले जाओ। उसकी बुआ ने सुबह के पांच–सवा पांच बजे देखा था कि उसका भाई घर के आंगन में लेटा हुआ है, जिसे उसकी बुआ ने उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठा था। फिर वह विकास को लेकर प्रवीण की गाड़ी में रामपुर सरकारी अस्पताल ले गये। डाक्टर ने विकास को देख कर मृत घोषित कर दिया था। जब वह अपने भईया को घर लाये तो देखा कि उसके गले पर निशान है। फिर पुलिस को रिपोर्ट करायी। आज खुद कहा कि पुलिस को खबर की थी, फिर पुलिस आई उसके भाई का पंचायतनामा भरा। पंचनामे के बाद उसके भाई विकास का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम के बाद उसने दिनांक 23.06.2012 को अपने गांव के विपिन कुमार से रिपोर्ट लिखवाई और उसे पढ़कर अपने हस्ताक्षर किये थे। गवाह ने पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर कागज संख्या 04/02 को देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है जिस पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। उसके पिताजी ने न्यायालय के माध्यम से रिपोर्ट लिखवाई थी। लगभग एक साल बाद दिनांक 16.07.2013 को वह, उसके पिताजी व ताऊजी घर पर ही बैठे थे, फिर कहा दिनांक 15.07.2013 को ही बैठे थे। समय दिन के लगभग 02.00 बजे थे, तभी वहां पर उसके ताऊजी के मकान के सामने काले रंग की सैन्ट्रो कार आकर रूकी और उसमें से प्रमोद पुत्र तेजपाल, शिव कुमार पुत्र तेलूराम, मुरसलीन जो उनके गांव का नहीं है, उतरकर उनके पास आये और आते ही शिवकुमार जमीन पर बैठ गया और उसके ताऊ तेजपाल के पैर पकड़ लिये और कहने लगा कि भाई तेजपाल तुम मेरे बड़े भाई–बाप समान हो, पूरण सिंह मेरे छोटे भाई जैसा है और आजाद मेरे लड़के जैसा है, फिर गांव की प्रधानी व बिरादरी का वास्ता देते हुए कहने लगे कि मेरे भतीजे प्रमोद से बहुत बड़ी गलती हो गयी है इसने मुरसलीन के साथ मिलकर यह कदम गलत उठा लिया, हमें काली गाय समझकर माफ कर दो, इसी में दोनों परिवारों की भलाई है। फिर ताऊजी ने कहा कि तुम तीनों की विवेचना थाना रामपुर में चल रही है, वहीं जाकर कहो जो कहना है। तब उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि उसके भाई की हत्या शिवकुमार, प्रमोद व मुरसलीन ने साजिश करके की है। इसके संबंध में उसके बयान धारा 164 दं.प्र.सं. भी हुए थे, जिसे न्यायालय की अनुमति से लिफाफा खोला गया। गवाह ने देखकर कहा कि यह वही धारा 164 दं.प्र.सं. बयान है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।इस संबंध में उसने एक तहरीर भी थाने में अगले

दिन दी थी। पत्रावली पर तहरीर कागज संख्या 05 दिखाई व पढ़कर सुनाई गयी तो गवाह ने कहा कि यह वही तहरीर है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिसकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–3** डाला गया। मुरसलीन उनके गांव में घटना से 2–3 साल पहले रहता था जो शिवकुमार के यहां रहता था। मुरसलीन के संबंध पहले प्रमोद की बहन से थे, जो बाद में उसके भाई प्रमोद के साथ हो गये थे, एक यह रंजिश थी। उसका भाई विकास दुकान करता था जो मुल्जिमान की थी। उसके भाई से प्रमोद ने लगभग ढाई–तीन लाख रूपये ले रखे थे। भाई प्रमोद से अपने पैसे वापस मांग रहा था, एक यह रंजिश थी। इन्हीं रंजिशों की वजह से उसके भाई की हत्या की गयी है।

15. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–2 विपिन कुमार सैनी ने मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने दिनांक 23.06.2012 को एक तहरीर जो इस मुकदमे के वादी आजाद पुत्र पूरण सिंह ने उसे बोल–बोलकर लिखवाई थी, लिखी थी। आजाद ने जो बोला था वही उसने तहरीर में लिखा था। गवाह ने पत्रावली पर कागज संख्या 4/2 को जिस पर प्रदर्श क–1 पहले से ही पड़ा है, देखकर कहा कि यह वही तहरीर है, जो उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है, पहचानता है। इस तहरीर पर उसके सामने वादी मुकदमा आजाद ने हस्ताक्षर किये थे।

16. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–3 **पूरन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया किदिनांक 21/22–06–2012 को उसका पुत्र विकास जो डी.जे. बजाने का काम करता था, प्रवीण के घर उसके लड़के के जन्मदिन पर डी.जे. बजाने गया था। विकास की हत्या प्रमोद पुत्र तेजपाल, शिव कुमार पुत्र तेलूराम, मुर्सलीन ने कर दी थी। इस हत्या के संबंध में दिनांक 23.06.2012 को उसके पुत्र आजाद ने थाने में अज्ञात में रिपोर्ट लिखवाई थी, उस समय तक हत्या करने वालों पता नहीं था। दिनांक 15.07.2013 को वह व उसका लड़का आजाद अपने भाई तेजपाल के घर पर बैठे हुए थे। तभी समय करीब 02 बजे दिन हरियाणा नंबर की सैन्ट्रो कार काले रंग की रूकी, उसमें से उनके गांव का प्रधान शिवकुमार व उसका भतीजा प्रमोद व सांगाठेडा गांव का मुर्सलीन जो काफी समय से उनके गांव प्रधान शिवकुमार के यहां रहा था, आकर उस गाड़ी से उतरे और उसके भाई तेजपाल के पास आये। उसका लड़का आजाद व वह वहां पर बैठे थे। शिवकुमार प्रधान ने आकर उसके भाई तेजपाल के पैर पकड़ लिये और कहने लगा कि उसके भतीजे प्रमोद ने तैश में आकर विकास को केबिल से गला दबाकर हत्या कर दी इसलिए हमें काली गाय समझकर माफ कर दो और शिवकुमार ने धमकी दी कि यदि मुकदमा चलाओगे तो उसका अंजाम बहुत गलत होगा। मुर्सलीन के संबंध पहले से ही शिवकुमार के यहां प्रमोद की बहन निशा के साथ थे और उसके लड़के विकास ने शिवकुमार व तेजपाल को पैसे दे रखे थे, शिवकुमार व तेजपाल ने पैसे मांगे, पैसों के संबंध में इन लोगों ने विकास की हत्या कर दी। उसका धारा 164 सी.आर.पी.सी. का बयान भी हुआ था। बयान 164 सी.आर.पी.सी. को पहचानकर साक्षी ने उसपर **प्रदर्श क–4** डलवाया। गवाह ने पत्रावली पर अपने दो अदद शपथपत्र कागज संख्या 12/2 ता 12/7 को देखकर कहा कि यह वही शपथ पत्र हैं जो उसने घटना के संबंध में एस.एस.पी. महोदय को दिये थे, जिन पर उसके हस्ताक्षर है, वह पहचानता है, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–5** व **प्रदर्श क–6** डाला गया।

17. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–4 **उपनिरीक्षक रमेश चन्द** ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 23.06.2012 थाना रामपुर मनिहारन पर एच.एम. के पद पर तैनाती के दौरान इसी दिनांक को आजाद पुत्र पूरण सिंह की लिखित तहरीर जो उसने विपिन कुमार पुत्र चरण सिंह से लिखवाई थी, के आधार पर उसने मु.अ.सं.–204/12 धारा 304 भा.द.सं. बनाम अज्ञात में कायम किया था, जिसका खुलासा जी.डी. नं. 18 समय 9.10 बजे में किया था जो पत्रावली पर कागज संख्या 4/1 के रूप में है जो उसके हस्ताक्षर व हस्तलेख में है, वह पहचानता है, जिस पर **प्रदर्श क–7** डाला गया।इसकी जी.डी. नं. 18 समय 9.10 बजे की कार्बन प्रति पत्रावली पर कागज संख्या 8/2 के रूप में है। यह जी.डी. उसके हस्तलेख व लघु हस्ताक्षर में है। यह कार्बन प्रति उसने असल के साथ एक ही प्रोसेस में तैयार की थी जो असल के मुताबिक सही है, जिसे वह पहचानता है। इस पर **प्रदर्श क–8** डाला गया। असल जी.डी. समयावधि पूर्ण होने के कारण नष्ट कर दी गयी है।

18. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–5 **डाक्टर जे.के. निगम** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 22.06.2012 को वह जिला चिकित्सालय सहारनपुर में वरिष्ठ परामर्शदाता के पद पर तैनाती के दौरान उस दिन उसकी ड्यूटी शव–विच्छेदन करने हेतु लगी थी। उसके द्वारा 03.30 पी.एम. बजे पर विकास पुत्र पूरण के शव का पोस्टमार्टम किया गया था, जिसे लेकर कांस्टेबल 1185 निखिल कुमार व कांस्टेबल 1953 वीर सैन थाना रामपुर ग्यारह पुरिस प्रपत्रों के साथ आये थे। शव लगभग आधा दिन पुराना था। दौरान शव परीक्षण उसने निम्नवतः पाया–

कद–काठी औसत थी, अकड़न सारे शरीर पर मौजूद थी, सड़न का कोई चिन्ह नहीं था, आंखे बन्द थी, मुँह आधा खुला था, दोनों नाक से खून बह रहा था।

मृत्यु पूर्व आई चोटों का विवरणः–legature mark 22cm X 3cm गर्दन के सामने समानान्तर है जो कि ठोड़ी से 03 cm नीचे तथा Right Mendable से 02 cm नीचे तथा left Mendable से 03 cm नीचे थी। चोट के नीचे त्वचा वहाँ पर खून लगा हुआ था। Tracheal ring टूटी हुई थी।

आन्तरिक परीक्षणः–मस्तिष्क conjested था। दोनों फेफड़े conjested थे। हृदय का दायां भाग खून से भरा था, बायां खाली था। अग्नाशय के अन्दर 200 ग्राम अधपचा खाना था, छोटी आंत व बड़ी आंत के अन्दर गैस व मल भरा था। लीवर conjested था, पित्ताशय आधा भरा था, स्पलीन conjested था, दोनों भुंहें conjested थी, मूत्राशय आधा भरा था।

मृतक के शरीर से पांच कपड़े जिनमें एक पैन्ट, एक बनियान, एक अण्डरवियर, एक पीली धातु की रिंग व एक काला रंग का धागा था। जिन्हें सील करके संबंधित कांस्टेबल को सुपुर्द कर दिया था।

गवाह ने कहा कि उसकी राय में मृत्यु का कारण मृतक के गला घोटने के कारण से दम घुटना होना प्रतीत है। मृतक की मृत्यु दिनांक 21/22.06.2012 की रात्रि में किसी भी समय होना संभव है। पत्रावली पर कागज संख्या 11/12 असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके लेख में है जो उसने दौरान शव–विच्छेदन तैयार की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर है, जिनकी वह शिनाख्त करता है, जिस पर **प्रदर्श क–9** डाला गया।

19. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–6 **सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक सुरेश चन्द शर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 22.06.2012 को थाना रामपुर पर बतौर उपरनिरीक्षक तैनाती के दौरान उस दिन सूचना प्राप्त होने पर थाना हाजा से रवानगी कर थानाध्यक्ष के हमराह के रूप में

वह ग्राम नन्दपुर बाबत पंचायतनामा मृतक विकास पुत्र पूरण की कार्यवाही करने हेतु गया था। उसके द्वारा थानाध्यक्ष के निर्देश पर पंचायतनामा की कार्यवाही सुबह 08 बजे शुरू कर 09 बजे समाप्त की गयी थी। पंचायतनामे में पंचान नियुक्त कर स्थिति लाश, कपड़े व हुलिया, चोटें तथा अपनी राय अंकित की थी। राय पंचान स्वयं नियुक्त पंचान द्वारा अंकित कर अपने हस्ताक्षर किये गये थे। लाश को सील सर्वे मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया था तथा शव को देकर तैयार कागजात कांस्टेबल निखिल कुमार व वीरसैन के सुपुर्द कर पोस्टमार्टम हेतु भेजा था। पत्रावली पर कागज संख्या 11/2 से 11/4 उसके हस्तालेख व हस्ताक्षर में है जिस पर पंचान एवं शव को पोस्टमार्टम हेतु प्राप्त करने वाले कांस्टेबल के हस्ताक्षर है, शिनाख्त करता है। पंचायतनामा पर **प्रदर्श क–10** डाला गया। कागज संख्या 11/8 चालान लाश, 11/9 फोटो लाश, 11/10 चिट्ठी आर.आई. व 11/11 चिट्ठी सी.एम.ओ. उसके द्वारा तैयार किये गये हैं जो उसके लेख व हस्ताक्षर में है, जिनकी वह शिनाख्त करता है, जिन पर क्रमशः **प्रदर्श क–11, प्रदर्श क–12, प्रदर्श क–13 व प्रदर्श क–14** डाला गया।

20. अभियोजन साक्षी पी0 डब्ल्यू 07 **सेवानिवृत्त निरीक्षक नरेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 23.02.2015 को क्राईम ब्रांच सहारनपुर में निरीक्षक के पद पर तैनाती के दौरान उक्त तिथि को मु.अ.स. 204/2012, धारा 302 भा.द.सं. की विवेचना उसे सुपुर्द हुयी थी। उक्त तिथि को पर्चा संख्या 94 उसके द्वारा किता किया गया था। पर्चा संख्या 95 दिनांक 26.02.2015 को उसके द्वारा किता किया गया जिसमें पूर्व सी.डी. का अवलोकन किया गया। पर्चा संख्या 97 दिनांक 13.03.2015 को उसके द्वारा किता किया गया जिसमें साक्षीगण आजाद आदि 19 गवाहान के बयान अंकित किये गये जिनके सूची उक्त पर्च में अंकित है, उक्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त प्रमोद के विरूद्ध धारा 302, 120 बी भा.दं.सं., मु.अ.सं. 204/2012, आरोप पत्र संख्या 37/2015 न्यायालय में उसके द्वारा प्रेषित किया गया जिस पर उसके हस्ताक्षर अंकित है, प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–15** डाला गया। दिनांक 17.03.2015 को एस.सी.डी. पर्चा संख्या 1 उसके द्वारा किता किया गया। दिनांक 23.03.2015 को एस.सी.डी. पर्चा संख्या 2 किता किया गया। दिनांक 27.03.2015 को एस.सी.डी. पर्चा संख्या 3 किता किया गया। दिनांक 02.04.2015 को एस.सी.डी. पर्चा संख्या 4 किता किया गया। दिनांक 25.04.2015 को एस.सी.डी. पर्चा संख्या 5 किता किया गया जिसमें प्रार्थनापत्र फरमान व शपथपत्रों की फोटोकॉपी प्राप्त की तथा उनके बयान अंकित किये थे, पर्चे में अंकित शपथकर्ताओं के बयान अंकित किये। दिनांक 28.04.2015 को एस.सी.डी. पर्चा संख्या 6 किता किया गया जिसमें शपथकर्ताओं के बयान अंकित किये गये।

21. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–8 **हेड कांस्टेबल 143 मुनेन्द्र कुमार** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 09.09.2012 को थाना रामपुर मनिहारान पर बतौर कांस्टेबल कुर्क की तैनाती के दौरान उस दिन वादी मुकदमा पूरण सिंह द्वारा न्यायालय में 156 (3) दं.प्र.सं. प्रार्थनापत्र दिया था जिस पर न्यायालय द्वारा मुकदमा दर्ज करने हेतु निर्देशित किया गया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मु.अ.सं. 204ए/2012 बनाम प्रमोद आदि, धारा 302, 201, 120 बी भा.दं.सं. थाना रामपुर पर पंजीकृत हुआ था जिसकी एफ.आई.आर चिक पेपर संख्या 4/1 उसके

द्वारा किता की गयी थी जिस पर उसके हस्ताक्षर व थाने की मोहर अंकित है, प्रमाणित करता है, एफ. आई. आर. चिक पर **प्रदर्श क–16** डाला गया। विवेचक द्वारा उसका बयान अंकित किया गया था। वादी द्वारा विपक्षीगण प्रवीण, जितेन्द्र, तरूण, बालेन्द्र, राजकुमार, शिवकुमार व प्रमोद के विरूद्ध उक्त 156 (3) दं.प्र.सं. प्रार्थनापत्र दिया गया था।

22. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–9 **निरीक्षक एम.एस. गिल** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 09.09.2012 को थाना प्रभारी रामपुर के पद पर तैनाती के दौरान मु.अ.सं. 204 ए(सी)/2012 धारा 302, 201, 120 बी भा.द.सं. बनाम प्रवीण आदि थाना रामपुर माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थनपत्र 156(3) द.प्र.सं. के आदेश पर पंजीकृत हुआ जिसकी विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी। वादी पूरण पुत्र ताराचंद के प्रार्थनापत्र पर मुकदमा कायम हुआ था। सी.डी. पर्चा संख्या 1 उपरोक्त दिनांक को किता किया गया था जिसमें बयान एफ.आई.आर. लेखक, नकल चिक, नकल रपट, बयान कां. मुनेन्द्र अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 2 दिनांक 10.09.2012 को किता किया जिसमें वादी पूरण सिंह के बयान अंकित किये तथा वादी के शपथपत्र का अवलोकन किया। इसी घटना के सम्बन्ध में पूर्व में पंजीकृत मु.अ.सं. 204/2012, धारा 304 भा.दं.सं. कायम हुआ था जिसकी विवेचना एस.एस.आई. कंचन सिंह उपाध्याय द्वारा की जा रही थी। उक्त दोनों मुकदमा अपराध एक ही होने के कारण दोनों को एक ही विवेचना में समायोजित किया गया था। वादी शपथपत्र में मुनीशचन्द शर्मा व रमेश सिंह की नामजदगी गलत पायी। सी.डी. पर्चा संख्या 3 दिनांक 11.09.2012 को किता किया जिसमें वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी पेपर संख्या 7 तैयार किया था, जो संलग्न पत्रावली है जिस पर उसके हस्ताक्षर अंकित है, प्रमाणित करता है, उक्त नक्शा–नजरी पर **प्रदर्श क–17** डाला गया। सी.डी. पर्चा संख्या 7 दिनांक 11.10.2012 को किता किया गया जिसमें साक्षी ईलमचन्द, तेजपाल व बालचन्द के शपथपत्र प्राप्त हुये तथा अवलोकन किया। सी.डी. पर्चा संख्या 8 दिनांक 20.10.2012 को किता किया जिसमे साक्षी अनिल पुत्र पूरण के बयान अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 9 दिनांक 04.11.2012 को किता किया जिसमें गीता पत्नी नीटू के बयान अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 10 दिनांक 18.11.2012 को किता किया जिसमें उसका स्थानांतरण होने के कारण अन्य विवेचक को विवेचना सुपुर्द हुयी।

23. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–10 **निरीक्षक वेगपाल सिंह** ने बयान किया कि दिनांक 20.05.2013 को थाना रामपुर मनिहारान पर बतौर थानाध्यक्ष तैनाती के दौरान उस दिन थाने पर पूर्व से प्रचलित मु.अ.सं. 204/2012, धारा 302, 201,120 बी भा.दं.सं. की विवेचना उसके द्वारा ग्रहण की गयी थी। उक्त तिथि को ही उसके द्वारा सी.डी. पर्चा संख्या 39 किता किया गया। दिनांक 27.05.2013 को सी.डी. पर्चा संख्या 40 किता किया जिसमें पूर्व केस डायरी का अवलोकन किया गया। सी.डी. पर्चा संख्या 42 दिनांक 08.06.2013 को किता किया गया जिसमें गांव में घूम फिरकर जानकारी की गयी तो कुछ लोगों ने बताया कि इस मुकदमे में घटना के पीछे प्रमोद पुत्र तेजपाल, निवासी नन्दपुर का हाथ होने की सम्भावना है। सी.डी. पर्चा संख्या 43 दिनांक 12.06.2013 को किता किया गया जिसमें संदिग्ध प्रमोद के बाबत जानकारी हासिल की गयी। सी.डी. पर्चा संख्या 44

दिनांक 17.06.2013 को किता किया गया जिसमें प्रमोद के घरवालों से जानकारी की गयी तो उसे बाहर होना बताया गया। सी.डी. पर्चा संख्या 45 दिनांक 21.06.2013 को किता किया गया जिसमें प्रमोद के बाबत जानकारी की गयी। सी.डी. पर्चा संख्या 46 दिनांक 28.06.2013 को किता किया गया जिसमें जनता के गवाह राजकुमार पुत्र निरंजन और नीटू पुत्र श्रीपाल के बयान अंकित किये गये जिन्होंने बताया था कि हम दोनों के पास प्रमोद, प्रधान शिव कुमार व मुर्सलीन नामक तीन व्यक्ति आये थे जिन्होंने मृतक विकास की हत्या के बाबत बताया था। सी.डी. पर्चा संख्या 47 दिनांक 30.06.2013 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त प्रमोद की तलाश की गयी थी। सी.डी. पर्चा संख्या 48 दिनांक 07.07.2013 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त प्रमोद के सम्भावित ठिकानों पर दबिश दी गयी थी। सी.डी. पर्चा संख्या 49 दिनांक 16.07.2013 को किता किया गया जिसमें मृतक के पिता पूरण सिंह, ताऊ तेजपाल, वादी मुकदमा आजाद का बयान व उसके द्वारा दी गयी तहरीर को संलग्न किया गया व नकल की गयी थी। सी.डी. पर्चा संख्या 52 दिनांक 22.07.2013 को किता किया गया जिसमें अभियुक्त प्रमोद को मुखबिर की सूचना पर दिल्ली–सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया गया तथा पूछताछ की गयी और उसके द्वारा घटना का इकबाल किया गया। अभियुक्त प्रमोद की निशानदेही पर आला कत्ल केबिल बरामद हुआ था उक्त केबिल आज थाने से तलब माल मुकदमा पैरोकार द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया। फर्द बरामदगी मौके पर जनता के गवाहों की मौजूदगी में तैयार की गयी थी और नक्शा नजरी तैयार किया गया था। फर्द बरामदगी पेपर संख्या 10 उसके द्वारा तैयार की गयी जिस पर अभियुक्त प्रमोद के हस्ताक्षर, साक्षी नूर हसन का अंगूठा निशानी, उसके व गवाहान के हस्ताक्षर अंकित हैं, प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–18** डाला गया। पत्रावली पर संलग्न पेपर संख्या 7/2 नक्शा बरामदगी स्थल केबिल उसके द्वारा तैयार किया गया है जिस पर उसके हस्ताक्षर अंकित हैं, प्रमाणित करता है जिस पर **प्रदर्श क–19** डाला गया। सी.डी. पर्चा संख्या 53 दिनांक 09.08.2013 को किता किया गया जिसमें जनता साक्षी मौकम सिंह व श्रवण के बयान अंकित किये गये। इसके पश्चात उसका स्थानांतरण होने पर विवेचना निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह को सुपुर्द हुयी। उससे पूर्व विवेचक उपनिरीक्षक कंचन उपाध्याय की मृत्यु हो चुकी है जिनकी मृत्यु रिपोर्ट पत्रावली पर संलग्न है, उन्होंने उसके साथ कार्य किया है, उनको लिखते–पढ़ते देखा है, उनके हस्ताक्षर पहचानता है। पत्रावली पर संलग्न पेपर संख्या 7/3 नक्शा नजरी घटनास्थल एस.आई. कंचन उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया जिस पर उनके हस्ताक्षर अंकित हैं, शिनाख्त करता है जिस पर **प्रदर्श क–20** डाला गया। मु.अ.सं. 204/2012 उपरोक्त की विवेचना सर्वप्रथम पूर्व विवेचक कंचन उपाध्याय द्वारा ग्रहण की गयी थी जिनके द्वारा सी.डी. पर्चा संख्या 1 दिनांक 23.06.2012 को किता किया गया जिसमें बयान एफ.आई.आर. लेखक, बयान वादी आजाद अंकित किये तथा घटनास्थल का निरीक्षण किया। वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी पेपर संख्या 7/3 विवेचक कंचन उपाध्याय द्वारा तैयार किया गया। सी.डी. पर्चा संख्या 4 दिनांक 30.06.2012 को किता किया जिसमें मृतक के पंचनामे व पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कार्बन प्रति का अवलोकन कर सी.डी. किता की। सी.डी. पर्चा संख्या 5 दिनांक 01.07.2012 को किता किया जिसमें साक्षी पूरण सिंह, दयाराम, फूल सिंह, सरजीत, मूलचंद, तेजपाल, प्रवीण व घनश्याम के

बयान अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 6 दिनांक 04.07.2012 को किता किया जिसमें पंचनामाकर्ता एस. आई. सुरेशचन्द, कां. वीरसेन, कां. निखिल, डॉ. सुनील कुमार मित्तल के बयान अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 7 दिनांक 07.07.2012 को किता किया जिसमें बयान एफ.आई.आर. लेखक रमेशचन्द अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 8 दिनांक 15.07.2012 को किता किया जिसमें वादी व उसके परिजनों से पूछताछ करने पर विकास को नशीला पदार्थ मिलाना बताया। सी.डी. पर्चा संख्या 9 दिनांक 23.07.2012 को किता किया। सी.डी. पर्चा संख्या 12 दिनांक 12.08.2012 को किता किया जिसमें दयाराम की तहरीर प्राप्त कर सी.डी. संलग्न किया तथा बयान साक्षी रविन्द्र अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 13 दिनांक 18.08.2012 को किता किया जिसमें पूरण, तेजपाल, विपिन व गीता के शपथपत्रों का अवलोकन कर सी.डी. संलग्न किया। सी.डी. पर्चा संख्या 14 दिनांक 21.08.2013 को किता किया जिसमें एस.एस.पी. के कार्यालय से प्राप्त रजनीश, मोनू आदि 15 शपथकर्ताओं के शपतपत्रों का अवलोकन किया। सी.डी. पर्चा संख्या 15 दिनांक 29.08.2012 को किता किया जिसमें बयान शपथकर्ता दयाराम अंकित किये। सी.डी. पर्चा संख्या 16 ए दिनांक 10.09.2012 को किता किया जिसमें धारा 204 ए भा.दं.सं., 302, 201, 120 बी भा.दं.सं. पंजीकृत है। उक्त विवेचना इसके बाद एम.एस. गिल के सुपुर्द हुयी थी।

24. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–11 **सुरेश चन्द शर्मा** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 18.08.2013 को प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह द्वारा मु.अ.सं. 204/2012 धारा 302, 201,120 बी भा.दं.सं., थाना रामपुर मनिहारान, सरकार बनाम प्रमोद की विवेचना ग्रहण की गयी थी। उस दिन प्रभारी निरीक्षक बिजेन्द्र सिंह द्वारा सी.डी. पर्चा संख्या 54 किता किया गया। सी.डी. पर्चा संख्या 55 दिनांक 30.09.2013 को किता किया जिसमें तलाश अभियुक्त शिव कुमार व मुर्सलीन की गयी। विवेचक बिजेन्द्र सिंह का स्थानांतरण होने के कारण विवेचना अन्य विवेचक को सुपुर्द हो गयी थी। उसने विवेचक बिजेन्द्र सिंह के साथ कार्य किया है, लिखते–पढ़ते देखा है, उनके हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता है। विवेचक पवननिधि शर्मा द्वारा विवेचक बिजेन्द्र सिंह से उपरोक्त विवेचना ग्रहण की गयी थी जिसमें विवेचक पवननिधि शर्मा द्वारा दिनांक 19.11.2013 को विवेचना ग्रहण कर सी.डी. पर्चा संख्या 61 किता किया। सी.डी. पर्चा संख्या 62 दिनांक 01.12.2013 को किता कर पूर्व सी.डी. का अवलोकन किया। सी.डी. पर्चा संख्या 63 दिनांक 07.12.2013 को किता किया जिसमें अभियुक्त शिव कुमार की तलाश की जो नहीं मिला। सी.डी. पर्चा संख्या 65 दिनांक 18.12.2013 को किता किया जिसमें अभियुक्त प्रमोद की जमानत रोबकार का अवलोकन किया। सी.डी. पर्चा संख्या 66 दिनांक 20.12.2013 को किता कर पूर्व सी.डी. का अवलोकन किया। सी.डी. पर्चा संख्या 67 दिनांक 24.12.2013 को किता किया जिसमें विधिक राय लेने हेतु जे.डी. निदेशक अभियोजन को मय प्रार्थनापत्र सी.डी. भेजी गयी तथा विवेचना आर.एस. पंवार के सुपुर्द की गयी। उसने उक्त विवेचक पवननिधि शर्मा के साथ भी कार्य किया है, लिखते–पढ़ते देखा है, उनका हस्तलेख व हस्ताक्षर पहचानता है।

25. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–12 **सेवानिवृत्त निरीक्षक राजपाल सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि मुकदमा अपराध सं.–204/12 धारा 302/120B IPC सरकार बनाम प्रमोद आदि की विवेचना दिनांक 26.03.2014 को उसे सुपुर्द हुई थी। सी.डी. पर्चा 72 उसके द्वारा उक्त दिनांक को किता किया था। पूर्व सीडी का अवलोकन किया था। सी डी पर्चा 74 दिनांक 06.04.2014 को किता किया जिसमें मजीद बयान वादी आजाद मजीद बयान पूरण सिंह, तेजपाल, मौहकम सिंह, श्रवण, राज कुमार, नीटू के मजीद बयान अंकित किये। सीडी पर्चा 75 दिनांक 16.04.2014 को किता किया जिसमें तेजपाल साक्षी के बयान 164 दं.प्र.सं. कराने के आदेश पारित कराए। सीडी पर्चा 76 दिनांक 17.04.2014 को किता किया जिसमें बयान वादी आजाद, तेजपाल, मौहकम, पूरण व नीटू के धारा 164 दं.प्र.सं. के बयान दर्ज कराए। सीडी पर्चा 77 दिनांक 18.04.2014 को किता किया जिसमें न्यायालय कि अनुमति से 164 दं.प्र.सं. के बयानों का अवलोकन किया। वादी द्वारा अभियुक्त शिवकुमार, मुर्सलीन व प्रमोद के द्वारा अपने भाई की हत्या करना बताया। मृतक विकास के अवैध सम्बंध अभियुक्त प्रमोद की बहन से थे। सी.डी. पर्चा 82 दिनांक 04.05.2014 को किता किया जिसमें मजीद पूछताछ राजकुमार वीरपाल मृतक द्वारा अभियुक्त शिवकुमार को ब्याज पर पैसा देना बताया। बयान गवाह वीरपाल अंकित किये। एस.एस.पी. के आदेश द्वारा विवेचना प्रभारी क्राईम ब्रांच जितेन्द्र सिंह को सुपुर्द की गयी।

26. अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–13 **नीटू** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि दिनांक 27.06.2013 को वह अपने घर था। उस दिन अभियुक्तगण शिव कुमार, प्रमोद, मुर्सलीन उसके घेर पर आये थे। उसका घर व घेर एक ही जगह है। हाजिर अदालत काले रंग का लोवर पहने व्यक्ति को देखकर कहा कि यह वही अभियुक्त प्रमोद है जो अन्य अभियुक्तगण के साथ गाड़ी में उपरोक्त तिथि को उसके घर पर आया था, शिनाख्त करता है। अभियुक्त शिवकुमार ने बताया कि आज उसका भतीजा प्रमोद जो उसके साथ आया है व मुर्सलीन से कोई गलती हो गयी है। इन दोनों ने मिलकर वर्ष 2012 में विकास सैनी की हत्या कर दी थी। उन्होंने कहा हमारी मदद करा दो, अपने रिश्तेदारों को कह कर। उसने उनसे कहा कि अपराधी की मदद करना उसके बस की बात नहीं है। इसके बाद वे लोग पानी पीकर 2–4 मिनट बाद चले गये। मृतक विकास सैनी के पिता पूरण सिंह से मिलने वला एक राजकुमार नाम का व्यक्ति है। राजकुमार ने बताया कि ये तीनों व्यक्ति उसके पास भी मदद के लिये आये थे। उसे नहीं पता राजकुमार ने उनकी कोई मदद की थी या नहीं। घटना के संबंध में उसका दो बार बयान हुआ था। एक बार पुलिस ने लिया था तथा एक बार जज साहब ने बयान लिया था। साक्षी नीटू उर्फ जनेश्वर के बयान 164 दं.प्र.सं. का सील लिफाफा खोला गया, जिसके अन्दर से चार साक्षीगण मोहकम, तेजपाल, नीटू उर्फ जनेश्वर व राजकुमार के 164 दं.प्र.सं. के बयान की मूलप्रतियाँ निकली। गवाह ने अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त करते हुए कहा कि यही उसका 164 दं.प्र.सं. का बयान है जो मजिस्ट्रेट साहब ने लिया था। इस पर उसके हस्ताक्षर अंकित है, प्रमाणित करता है। साक्षी नीटू के बयान 164 दं.प्र.सं. पर **प्रदर्श क–21** डाला गया।

27. **अभियोजन साक्षी पी0 डब्लू0–14 राजकुमार पुत्र निरंजन सिंह** ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया कि उसके पास अभियुक्तगण शिवकुमार व प्रकाश आदि आये थे। किस तारीख को आये थे यह उसे याद नहीं है। वह उस दिन अपने गांव के राजकुमार पुत्र दिलाराम की बैठक में बैठे थे। उस दिन अभियुक्तगण शिवकुमार व प्रमोद उनके पास आये थे। शिवकुमार ने उससे कहा था कि हमारे से गलती हो गयी है, हमारी थोड़ी पुलिस में मदद कर दो। प्रमोद ने कुछ नहीं कहा था। उस समय वह प्रमोद को नहीं जानता था। विकास के मर्डर के मामले में शिवकुमार ने मदद मांगी थी। उक्त अभियुक्तगण में से कोई उसका रिश्तेदार नहीं था। मृतक विकास की हत्या किसने की, कब की उसे नहीं पता। यह बात उसे अभियुक्तगण ने भी नहीं बतायी। वह घटना के समय मौके पर नहीं था तथा न ही उसने घटना देखी। पुलिस ने उसका बयान लिया था। मजिस्ट्रेट साहब ने उसका बयान 164 दं.प्र.सं. लिया था। गवाह ने पेपर संख्या 116क देखकर कहा यह उसका वही 164 दं.प्र.सं. की बयान है जो उसने मजिस्ट्रेट साहब को दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर अंकित है, प्रमाणित करता है। इस पर **प्रदर्श क–22** डाला गया। गवाह ने कहा कि जो बयान में ऊपर दिया है वही मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। न तो उसने कोई घटना देखी और न ही उसने अपने बयान 164 दं.प्र.सं. में किसी अभियुक्तगण का नाम बताया था। उसने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को कोई शपथ पत्र नहीं दिया, न ही ऐसे किसी शपथ पत्र में किसी अभियुक्त का नाम बताया।

28. अभियोजन की ओर से साक्ष्य समाप्त करने के पश्चात् बचाव पक्ष/अभियुक्त का बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 अंकित किया गया। अभियुक्त ने बयान अन्तर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक के संबंध में यह कथन किया है कि गलत है। अभियुक्त ने साक्षी पी0 डब्लू01 के बयान के संबंध में कथन किया है कि आजाद ने पहले पुलिस को खबर नहीं दी तथा बाद में रंजिशन उसका नाम तहरीर में लिखवा दिया। वह कभी भी तेजपाल के घर मुर्सलीन व शिवकुमार के साथ नहीं गया। बाद में झूठा साक्ष्य बताया गया है। अभियुक्त ने साक्षी पी0 डब्लू02 के बयान के संबंध में कथन किया है कि बाद में झूठी तहरीर कानूनी सलाह से तैयार की गयी है। पी0 डब्लू03 के बयान के संबंध में कथन किया है कि झूठा कथन किया है वह कभी तेजपाल के घर नहीं गया। शपथपत्र साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है बाद में झूठे शपथपत्र दिये गये हैं। पी0 डब्लू04 के बयान के संबंध में कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है। साक्षी पी0 डब्लू05 व पी.डब्लू. 6 के बयान के संबंध में कथन किया है कि उसे नहीं पता। पी.डब्लू.07 के बयान के संबंध में कथन किया है कि पूरी कार्यवाही फर्जी व गलत की गयी है। गलत विवेचना कर गलत आरोपपत्र दाखिल किया गया है। निष्पक्ष विवेचना नहीं की गयी है। पी0 डब्लू 08 के बयान के संबंध में कथन किया है कि कानूनी मशवरे से भिन्न अभियुक्तगण के खिलाफ प्रार्थनापत्र दिया गया है। पी0 डब्लू 09 के बयान के संबध में कथन किया है कि गलत विवेचना की गयी है। पी.डब्लू. 10 के बयान के संबंध में कथन किया है कि वादी पक्ष से साज करके गलत विवेचना की है, गलत व फर्जी बरामदगी दिखायी गयी है। साक्ष्य कानूनी रूप से ग्राह्य नहीं है। पी0 डब्लू 11 के बयान के संबंध में कथन किया है कि पूरी विवेचना गलत रूप से कही गयी है। पी0 डब्लू 12 के बयान के संबंध में कथन किया है कि पूरी विवेचना फर्जी रूप से व वादी से साज करके की गयी है। पी.डब्लू. 13 के बयान के संबंध में कथन किया है कि नीटू गवाह आजाद का सगा फूफा है। इसलिए झूठी गवाही दी गयी है। वह कभी भी

नीटू के घर नहीं गया। पी.डब्लू. 14 के बयान के संबंध में कथन किया है कि वह राजकुमार के पास नहीं गया था। अभियुक्त द्वारा मुकदमा गांव की पार्टीबाजी व प्रधानी की रंजिशन चलने और सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है। अभियुक्त ने अपने विशेष कथन में कहा है कि वह निर्दोष है। उसे बाद में गांव की पार्टीबन्दी व प्रधानी की रंजिश में झूठा फंसाया गया है।

29. बचाव पक्ष की ओर से अपने समर्थन में कुल एक बचाव साक्षी को परीक्षित कराया गया है।

30. डी.डब्लू. 1 साक्षी धीरेन्द्र मोहन शर्मा निरीक्षक ने अपनी मुख्य परीक्षा में बयान किया है कि दिनांक 20.11.2012 को थाना रामपुर मनिहारान जिला सहारनपुर में एस.एच.ओ. के पद पर तैनाती के दौरान उस दिन उसे मु.अ.सं. 204/2012 अंतर्गत धारा 302,304,120 भा.दं.सं. की विवेचना प्राप्त हुई थी। उसने दिनांक 25.12.2012 में गवाहान तेजपाल पुत्र ताराचन्द व अनिल पुत्र पूर्णचन्द व पूर्ण पुत्र ताराचन्द के बयान सी.डी. के पर्चा नं० 29 में अंकित किये थे। दिनांक 15.01.2013 को उसने गवाहान विजयपाल पुत्र फूल सिंह, हेमचन्द पुत्र तेलूराम व आत्माराम पुत्र दिलेराम के बयान सी.डी. के पर्चा नं० 30 में अंकित किये थे। दिनांक 28.01.2013 को सी.डी. का पर्चा नं० 31 किता कर गवाहान आनन्द प्रकाश व सुखपाल पुत्रगण खुशीराम व रामकला पुत्र बुद्या सिंह के बयान अंकित किये थे। दिनांक 28.02.2013 को सी.डी. का पर्चा नं० 33 किता कर गवाहान दयाराम पुत्र दिलेल सिंह, इलमचन्द पुत्र सन्दल सिंह व तेजपाल पुत्र कन्टू के बयान अंकित किये थे। दिनांक 14.03.2013 को सी.डी. का पर्चा नं० 34 किता कर गवाहान मानसिंह पुत्र कन्टूराम व घनश्याम पुत्र गीताराम के बयान सी.डी. में दर्ज किये थे। दिनांक 27.03.2013 को सी.डी. का पर्चा नं० 35 किता कर गवाह महीपाल पुत्र कन्दूराम का बयान अंकित किया था। दिनांक 08.04.2013 को सी.डी. का पर्चा नं० 36 किता कर गवाह पुनित पुत्र ओमप्रकाश का बयान अंकित किया था। दिनांक 21.04.2013 को विवेचना में यह पाया था कि पता चला कि पूर्व प्रधान दयाराम व वर्तमान प्रधान शिवकुमार के मध्य चुनाव के समय से रंजिश चली आ रही है इसलिए यह मामला उलझाकर रख दिया है। पहले अज्ञात में मामला सही लिखाया गया था किन्तु दयाराम ने रंजिश निकालने के लिए न्यायालय से आदेश कराकर निर्दोष व्यक्तियों को मुल्जिम बनाया गया है तथा उसी दिन गवाहान सतीश पुत्र दलसिंह व रकम सिंह पुत्र तेलूराम के बयान केस डायरी में अंकित कराये थे। दिनांक 02.05.2013 को सी.डी. का पर्चा नं० 38 किता कर गवाहान रमेशचन्द पुत्र शौयत सिंह, जगपाल सिंह पुत्र फूल सिंह, यशपाल सिंह पुत्र नगीना सिंह, जबर सिंह पुत्र पहल सिंह, रामसिंह पुत्र नानू सिंह, महेन्द्र पुत्र मौजी, आनन्द पुत्र खुशीराम, राजू पुत्र इशम सिंह, मास्टर श्याम लाल, श्रीपाल पुत्र करताराम व राम सिंह पुत्र डालचन्द के बयान लिये थे। गवाहान के बयानात लेने के बाद व विवेचना के उपरान्त यह पाया था कि विकास की हत्या प्रवीण पुत्र मांगेराम के द्वारा किया जाना पाया जाता है। अन्य नामित किये गये अभियुक्तगण की नामजदगी झूठी पायी जाती है। मुकदमे में धारा 201, 120 बी भा०दं०सं० का होना नहीं पाया जाता है। उसने इस मुकदमे की विवेचना सही व निष्पक्ष रूप से की थी।

31. **धारा 300 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार, हत्या–** एतस्मिन् पश्चात् अपवादित दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानव वध हत्या है, यदि वह कार्य, जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो, मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, अथवा

दूसरा– यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्युकारित करना संभाव्य है जिसको वह अपतानि कारित की गई है, अथवा

तीसरा– यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति, जिसके कारित करने का आशय हो, प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्युकारित करने के लिए पर्याम हो, अथवा

चौथा– यदि कार्य करने वाला व्यक्ति यह जानता हो कि वह कार्य इतना आसन्त्रसंकट है कि पूरी अधिसंभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा था ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्युकारित होना संभाव्य है और वह मृत्युकारित करने या पूर्वोक्त रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए किसी प्रतिहेतु के बिना ऐसा कार्य करे।

दृष्टांत

(क) य को मार डालने के आशय से क उस पर गोली चलाता है, परिणामस्वरूप व मर जाता है। क हत्या करता है।

(ख) क यह जानते हुए कि य ऐसे रोग से ग्रस्त है कि संभाव्य है कि एक प्रहार उसकी मृत्यु कारित कर दे, शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से उस पर आघात करता है। य उस प्रहार के परिणामसवरूप मर जाता है। क हत्या का दोषी है, यद्यपि वह प्रहार किसी अच्छे स्वच्छ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त न होता। किन्तु यदि क, यह न जानते हुए कि य किसी रोग से ग्रस्त है, उस पर ऐसा प्रहार करता है, जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ, क, यद्यपि शारीरिक क्षति कारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी नहीं है, यदि उसका आशय मृत्युकारित करने या ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने का नहीं था, जिससे प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित हो जाए।

(ग) य को तलवार या लाठी से ऐसा घाव क साशय करता है, जो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में किसी मनुष्य की मृत्युकारित करने के लिए पर्याप्त है। परिणामस्वरूप य की मृत्युकारित हो जाती है, यही क हत्या का दोषी है, यद्यपि उसका आशय य की मृत्युकारित करने का न रहा हो।

(घ) क किसी प्रतिहेतु के बिना व्यक्तियों के एक समूह पर भरी हुई तोप चलाता है और उनमें से एक का वध कर देता है। क हत्या का दोषी है, यद्यपि किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्युकारित करने की उसकी पूर्वचिन्तित परिकल्पना न रही हो।

अपवाद 1– आपराधिक मानव वध कव हत्या नहीं है –आपराधिक मानव बध हत्या नहीं है, यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से आत्मसंयम की शक्ति से वंचित हो, उस व्यक्ति, की जिसने कि वह प्रकोपन दिया था, मृत्युकारित करे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करे।

ऊपर का अपवाद निम्नलिखित परन्तुकों के अध्यधीन है––

पहला– यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या उपहानि करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न हो या स्वेच्छ्यां प्रकोपित न हो।

दूसरा– यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में, की गई हो।

तीसरा–यह कि वह प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो, जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो।

स्पष्टीकरण–प्रकोपन इतना गंभीर और अचानक था या नहीं कि अपराध को हत्या की कोटि में जाने से बचा दे, यह तथ्य का प्रश्न है।

दृष्टांत

(क) य द्वारा दिए गए प्रकोपन के कारण प्रदीप्त आवेश के असर में म का, जो य का शिशु है, क साशय वध करता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन उस शिशु द्वारा नहीं दिया गया था और उस शिशु की मृत्यु उस प्रकोपन से किए गए कार्य को करने में दुर्घटना या दुर्भाग्य से नहीं हुई है।

(ख) क को म गंभीर और अचानक प्रकोपन देता है। क इस प्रकोपन से म पर पिस्तौल चलाता है, जिसमें न तो उसका आशय य का, जो समीप ही है किन्तु दृष्टि से बाहर है, वध करने का है, और न वह यह जानता है कि संभाव्य है कि वह य का वध कर दे। क, य का वध करता है। यहाँ क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

(ग) य द्वारा जो, एक बेलिफ है, क विधिपूर्वक गिरफ्तार किया जाता है। उस गिरफ्तारी के कारण क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था, जो एक लोक सेवक द्वारा उसकी शक्ति के प्रयोग में की गई थी।

(घ) य के समक्ष, जो एक मजिस्ट्रेट है, साक्षी के रूप में क उपसंजात होता है। य यह कहता है कि वह क के अभिसाक्ष्य के एक शब्द पर भी विश्वास नहीं करता और यह कि क ने शपथभंग किया है। क को इन शब्दों से अचानक आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है।

(ङ) य की नाक खींचने का प्रयत्न क करता है। य प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में ऐसा करने से रोकने के लिए क को पकड़ लेता है। परिणामस्वरूप क को अचानक और तीव्र आवेश आ जाता है और वह य का वध कर देता है। यह हत्या है, क्योंकि प्रकोपन ऐसी बात द्वारा दिया गया था जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की गई थी।

(च) ख पर य आघात करता है। ख को इस प्रकोपन से तीव्र क्रोध आ जाता है। क, जो निकट ही खड़ा हुआ है, ख के क्रोध का लाभ उठाने और उससे य का वध कराने के आशय से उसके हाथ में एक खुरी उस प्रयोजन के लिए दे देता है। ख उस छुरी से य का वध कर देता है। यहाँ ख ने चाहे केवल आपराधिक मानव वध ही किया हो, किन्तु क हत्या का दोषी है।

अपवाद 2– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि अपराधी, शरीर या सम्पत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार को सद्भावपूर्वक प्रयोग में लाते हुए विधि द्वारा उसे दी गई शक्ति का अतिक्रमण कर दे, और पूर्वचिन्तन बिना और ऐसी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से जितनी अपहानि करना आवश्यक हो उससे अधिक अपहानि करने के किसी आशय के बिना उस व्यक्ति की मृत्युकारित कर दे जिसके विरुद्ध वह प्रतिरक्षा का ऐसा अधिकार प्रयोग में ला रहा हो।

दृष्टांत

क को चाबुक मारने का प्रयत्न य करता है, किन्तु इस प्रकार नहीं कि क को घोर उपहति कारित हो। क एक पिस्तौल निकाल लेता है। य हमले को चालू रखता है। क सद्भावपूर्वक यह विश्वास करते हुए कि वह अपने को चाबुक लगाए जाने से किसी अन्य साधन द्वारा नहीं बचा सकता है गोली से य का वध कर देता है। क ने हत्या नहीं की है, किन्तु केवल आपराधिक मानव वध किया है।

अपवाद 3– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह अपराधी ऐसा लोक सेवक होते हुए, या ऐसे लोक सेवक को मदद देते हुए, जो लोक न्याय की अग्रसरता में कार्य कर रहा है, उसे विधि द्वारा दी गई शक्ति से आगे बढ़ जाए, और कोई ऐसा कार्य करके जिसे वह विधिपूर्ण और ऐसे लोक सेवक के नाते उसके कर्तव्य के सम्यकू निर्वहन के लिए आवश्यक होने का सद्भावपूर्वक विश्वास करता है, और उस व्यक्ति के प्रति, जिसकी कि मृत्युकारित की गई है, वैमनस्य के बिना मृत्युकारित करे।

अपवाद 4– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह मानव वध अचानक झगड़ा जनित आवेश की तीव्रता में हुई अचानक लड़ाई में पूर्वचिन्तन बिना और अपराधी द्वारा अनुचित लाभ उठाए बिना या क्रूरतापूर्ण या अप्रायिक रीति से कार्य किए बिना किया गया हो।

स्पष्टीकरण– ऐसी दशाओं में यह तत्वहीन है कि कौन पक्ष प्रकोपन देता है या पहला हमला करता है।

अपवाद 5– आपराधिक मानव वध हत्या नहीं है, यदि वह व्यक्ति जिसकी मृत्युकारित की जाए, अठारह वर्ष से अधिक आयु का होते हुए, अपनी सम्मति से मृत्यु होना सहन करे, या मृत्यु की जोखिम उठाए ।

दृष्टांत

य को, जो अठारह वर्ष से कम आयु का है, उकसाकर क उससे स्वेच्छया आत्महत्या करवाता है। यहीं, कम उम्र होने के कारण य अपनी मृत्यु के लिए सम्मति देने में असमर्थ था, इसलिए क ने हत्या का दुष्प्रेरण किया है

32. **धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार,** "जो कोई हत्या करेगा, वह मृत्यु या आजीवन कारावास से दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

33. **धारा 120 बी के अनुसार–**

(1)जो कोई भी मृत्युदंड, आजीवन कारावास या दो वर्ष या उससे अधिक की अवधि के कठोर कारावास से दंडनीय अपराध करने के लिए आपराधिक षड्यंत्र में भागीदार है , यदि इस संहिता में ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, तो उसे उसी प्रकार दंडित किया जाएगा जैसे कि उसने ऐसे अपराध में सहायता की हो।

(2) जो कोई भी उपर्युक्त दंडनीय अपराध करने की आपराधिक साजिश के अलावा किसी अन्य आपराधिक साजिश में शामिल होता है, उसे किसी भी प्रकार के कारावास से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए, या जुर्माने से, या दोनों से दंडित किया जाएगा।

34. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त निर्दोष हैं उनके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहान के बयानात में सारवान विरोधाभाष है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध किया गया है।

35. अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त प्रमोद द्वारा दिनांक 21/12.06.2012 की रात्रि में सहभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के भाई विकास की हत्या की गयी। उल्लेखनीय है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन की ओर से घटना का कोई चश्मदीद साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण को सिद्ध करने के लिए अभियोजन की ओर से पी.डब्लू. 1 आजाद सिंह, पी.डब्लू. 3 पूरन सिंह, पी.डब्लू. 13 नीटू पुत्र पाल सिंह व पी.डब्लू. 14 राजकुमार पुत्र निरंजन सिंह को न्यायालय परीक्षित कराया गया है। इन सभी साक्षीगण ने दिनांक 15.07.2013 को तेजपाल के घर पर हरियाणा नम्बर की सैंट्रो कार का आकर रुकना तथा उसमें से गांव के प्रधान शिवकुमार व उसके भतीजे प्रमोद पुत्र तेजपाल व गांव सागरखेड़ा के मुरसलीन पुत्र कासा का वहां आना और शिवकुमार प्रधान द्वारा वादी मुकदमा के ताऊ तेजपाल पैर पकड़ना और कहना कि उसके भतीजे प्रमोद ने तैश में आकर विकास की केबिल गला दबाकर हत्या कर दी। उन्हें काली गाय समझकर माफ कर दिया जाए यह भी धमकी दी कि यदि मुकदमा चलाया तो उसका नतीजा बहुत बुरा होगा उसी के आधार पर अभियुक्त प्रमोद की संलिप्तता घटना में होना बतायी है अर्थात प्रकरण में अभियोजन साक्ष्य का सार अभियुक्तगण द्वारा आजाद सिंह, पूरन सिंह की मौजूदगी तथा नीटू तथा राजकुमार के सामने न्यायिकेतर संस्वीकृति की है।

36. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि घटना दिनांक 21/22.06.2012 की रात्रि की बतायी गयी है। मृतक विकास कुमार उस दिन रात्रि में प्रमोद पुत्र मांगेराम के यहां डी.जे बजाने गया था और सुबह अपने ही घर के आंगन में उसकी लाश पायी गयी। उसकी बुआ गीता ने उसे जब उठाने की कोशिश की तो नहीं उठा। अस्पताल जे जाने पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस प्रकरण में अभियोजन की ओर से वादी मुकदमा आजाद द्वारा एक हस्तलिखित तहरीर दिनांक 23.06.2012 को प्रस्तुत की गयी जिसपर मुकदमा अपराध संख्या 204/2012 अंतर्गत धारा 304 भा.दं.सं. बनाम अज्ञात दर्ज किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि इसी प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा प्रार्थनापत्र संख्या 511/2012 पूरन सिंह बनाम प्रवीण आदि अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं.में पारित आदेश के अनुपालन में एक मुकदमा अपराध संख्या 204 ए/सी अंतर्गत धारा 302, 201, 120 बी भा.दं.सं. थाने में दर्ज किया गया। उल्लेखनीय है कि इस चिक एफ.आई.आर. के अंतर्गत यह मुकदमा प्रवीण पुत्र मांगेराम, जितेन्द्र पुत्र कलीराम, तरुण उर्फ हल्लू पुत्र प्रेमचन्द, बालचन्द पुत्र सन्दल, शिवकुमार पुत्र तेलूराम, राजकुमार पुत्र तेलूराम व प्रमोद पुत्र तेजपाल के विरुद्ध दर्ज कराया गया। बाद में दोनों प्रकरण की विवेचना शामिल रूप से करते हुए अपराध संख्या 204/2012 अंतर्गत धारा 302, 201, 120 बी. भा.दं.सं. में अभियुक्त प्रमोद पुत्र तेजपाल के विरुद्ध आरोपपत्र दिनांकित 13.03.2015 न्यायालय प्रेषित किया गया। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर द्वारा दिनांक 27.08.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया। इस प्रकार से इस प्रकरण में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट हैं एक अज्ञात के विरुद्ध है और दूसरी न्यायालय के जरिये नामजद दर्ज करायी गयी है।

37. इस बाबत वादी मुकदमा आजाद द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए प्रतिपरीक्षा में अपने घर से अपने भाई विकास को रामपुर अस्पताल दिखाने के लिए दिनांक 22.06.2012 को समय सुबह लगभग 5.30 बजे लेकर जाना तथा वहां पर डाक्टर द्वारा मृत घोषित कर

देना बताया है। यह साक्षी यह भी बताता है कि जैसे ही वह अपने भाई विकास को अपने घर लेकर आया तभी उसने उसके गले पर निशान देखा था परन्तु थाने पर कोई रिपोर्ट नहीं लिखायी थी। यह साक्षी यह भी बताता है कि जिस रात उसके भाई विकास की हत्या हुई थी उस रात उसका भाई अनिल व उसकी बुआ गीता घर पर थी। उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से न तो अनिल को परीक्षित कराया गया है और न ही गीता को न्यायालय परीक्षित कराया गया है। यह साक्षी आजाद घटना वाली रात स्वयं को अपने घर पर मौजूद होने से इंकार करता है और अपने खेत पर बने लटान पर स्वयं को मौजूद होना बताता है। इसी प्रकार अपने पिता को भी घटना वाली रात घर पर मौजूद होना नहीं बताता है। विकास का 10–15 साल पहले से डी.जे व ट्रैक्टर की बैट्री आदि का काम करना यह साक्षी बताता है और बताता है कि वह यह काम तेजपाल की दुकान किराये पर लेकर करता था।

38. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि चूंकि मृतक विकास अभियुक्तगण जैसा ही काम करता था। अतः अभियुक्तगण उससे रंजिश मानते थे इसके अतिरिक्त एक कारण रंजिश का अभियोजन की ओर से यह भी बताया गया है कि विकास से प्रमोद ने लगभग ढाई–तीन लाख रुपये लिये थे और वह अपने पैसे वापस मांग रहा था जिसके कारण वादी पक्ष द्वारा अभियुक्तगण को झूठा फंसाया गया है इसके अतिरिक्त विकास का प्रमोद की बहन से अवैध संबंध होना भी रंजिश का कारण बताया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाये। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा इसका विरोध किया गया।

39 उल्लेखनीय है कि वादी मुकदमा की तहरीर पर वादी व प्रमोद कुमार में किसी प्रकार की कोई रंजिश होना नहीं बताया गया है। इसी प्रकार से वादी मुकदमा ने विकास से प्रमोद द्वारा ढाई–तीन लाख रूपये लेने की बात न्यायालय में अपने बयानों में बतायी है। उल्लेखनीय है कि अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. दिनांकित 23.06.2012 में भी वादी मुकदमा ने विवेचक को न तो अभियुक्त प्रमोद का नाम बताया है और न ही उससे कोई दुश्मनी होना बताया है। इसी प्रकार से वादी के एक अन्य भाई अनिल कुमार और उसके पिता पूरण सिंह आदि द्वारा भी अपने बयान अन्तर्गत धारा 161 द.प्र.सं. दिनांकित 01.07.2012 में कोई भी ऐसा कथन नहीं किया गया है। उल्लेखनीय यह भी है कि विद्वान न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सहारनपुर के आदेश दिनांकित 09.09.2012 द्वारा प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 156(3) द.प्र.सं. में प्रकरण में मुकदमा अपराध संख्या 204 A/2012 अन्तर्गत धारा 302, 201, 120 बी भा.द.सं. बनाम प्रवीण आदि दर्ज हुआ जो कि विवेचक द्वारा एक ही घठना से संबंधित होने के कारण पर्चा संख्या 16 ए कागज संख्या 0553955 दिनांकित 10.09.2012 में मुकदमा अपराध संख्या 204 ए/2012 अंतर्गत धारा 302, 201 व 120 बी को मुकदमा अपराध संख्या 204/2012 से संलग्न किया गया तथा दोनों अपराध संख्या में एक ही आरोपपत्र प्रेषित किया गया। उल्लेखनीय है कि अपराध संख्या 204A/2012 में वादी मुकदमा पूरण सिंह है जो कि अपराध संख्या 204/12 के वादी मुकदमा आजाद का पिता है। उसने अपने मजीद बयान दिनांकित 10.09.12 में उसके लड़के विकास कुमार की हत्या प्रवीण, जितेन्द्र, तरूण उर्फ हल्लू, बालचन्द, राजकुमार, शिवकुमार तथा प्रमोद कुमार द्वारा मिलकर किया जाना बताया है। पुनः दिनांक 16.07.2013 को पूरण सिंह का बयान हुआ जिसमें उसने बताया कि दिनांक 15.07.2013 को जब वह अपने लड़के आजाद व अपने भाई तेजपाल के घेर में बैठा था तो उसके गांव के प्रधान शिवकुमार, प्रमोद व गांव सागरखेड़ा का मुरसलीन आये और शिवकुमार ने बताया

कि उसके भतीजे प्रमोद ने मुरसलीन के साथ मिलकर विकास की तुम्हारे घर में पड़े केविल से गला घोटकर हत्या कर दी। तेजपाल व आजाद द्वारा भी इसी प्रकार का बयान दिया गया। विवेचक द्वारा इन साक्षीगण द्वारा बार–बार बयान बदलने के कारण इनके बयान अन्तर्गत धारा 164 द.प्र.सं. न्यायालय में कराये गये, जिसमें साक्षी नीटू द्वारा अपने बयान प्रदर्श क–21 में नन्दपुर के प्रधान शिवकुमार का तीन आदमियों के साथ उसके यहाँ आने और उसके साथ प्रमोद व मुरसलीन का होना तथा शिवकुमार का यह कहना कि उसके भतीजे से कुछ गलती हो गयी, अपने साले से कहकर उसके मामला निपटवां दो तो उसने उससे मना कर दिया था। एक अन्य साक्षी राजकुमार पुत्र निरंजन सिंह द्वारा भी अपने बयान प्रदर्श क–22 में दिनांक 27.06.2013 को शिवकुमार, प्रमोद, मुरसलीन तथा एक बुजुर्ग व्यक्ति का उसके घेर में आना तथा यह कहना कि हम लोगों से जो गलती होनी थी, हो गयी है, अब माफ करवा दो बताया है। शिवकुमार ने उससे यह भी कहा था कि उनके 70 हजार रूपये भी लौटा दूंगा, परन्तु उसने बात करने से मना कर दिया। इसी प्रकार से साक्षी तेजपाल द्वारा भी अपने बयान 164 द.प्र.सं. में दिनांक 15.07.2013 में शिवकुमार, प्रमोद व मुरसलीन का उसके घर आना तथा शिवकुमार द्वारा यह बताना कि उसके भतीजे व मुरसलीन ने उसके विकास को मारा है, आप उसे माफ करवा दो। यह अभियुक्तगण शिवकुमार, मुरसलीन व प्रमोद द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16.07.2013 को कथित रूप से न्यायिकेतर संस्वीकृति के बावजूद भी इन साक्षीगण के साक्ष्य अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. दिनांक 17.04.2014 अर्थात उक्त संस्वीकृति के लगभग 9 माह पश्चात दर्ज कराये गये हैं।

40. उल्लेखनीय है कि पत्रावली पर उपलब्ध धारा 161 द.प्र.सं. के अन्तर्गत विभिन्न बयान होते हुए भी अभियोजन द्वारा किसी ऐसे साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है जिसने कि अंतिम बार विकास को मृत्यु से पूर्व देखा हो। अभियोजन साक्षी पी.डब्ल्यू.–9 निरीक्षक एम.एस. गिल भी अपनी जिरह में अनिल द्वारा उसे यह बयान दिया जाना कि दिनांक 22.06.2012 को सुबह करीब साढे चार बजे वह तथा गीता घर पर मौजूद थे। प्रवीण का साला जितेन्द्र व तरूण उर्फ हल्लू उसके भाई विकास को पकड़े हुए थे और उसको आंगन में लेटा दिया, पूछने पर बताया कि विकास ने शराब पी रखी है यह नशे में है, चलने की हालत में नहीं है और कहा कि जो हमसे लड़ेगा उसका यही हाल होगा। इसी प्रकार से इस साक्षी ने गीता का भी बयान लिया उसने भी अनिल जैसा बयान देना ही इस साक्षी को बताया है। परन्तु उल्लेखनीय है कि अभियोजन की ओर से न तो साक्षी अनिल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया और न ही गीता को परीक्षित कराया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 22.06.2012 को सुबह गीता से जितेन्द्र व तरूण मिले थे जैसा कि स्वयं मृतक के पिता पूरन सिंह ने अपने प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में कथन किया है।

41. तहरीर प्रदर्श क–1 के अनुसार वादी मुकदमा की बुआ गीता ने मृतक विकास को सुबह करीब 5 बजे उठाने की कोशिश की, नहीं उठा तो अन्य लोगों को जानकारी दी जबकि प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में दिनांक 22.06.2012 को सुबह करीब 4.30 बजे गांव के प्रमोद के साले जितेन्द्र व तरुण उर्फ हल्लू अपनी मोटरसाइकिल पर विकास को लेकर मृतक विकास के पिता पूरन सिंह के मकान के घर के आंगन में लाकर गीता को यह कहकर चले जाना कि इसे ज्यादा नशा हो गया है, चलने की स्थिति में नहीं है इसके अर्थ यह है कि तरुण और जितेन्द्र से गीता मिली थी। गीता मृतक विकास से अंतिम बार

मिली थी और उस समय विकास किस अवस्था में था इसका अभियोजन की ओर से सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य गीता ही दे सकती थी, परन्तु अभियोजन द्वारा उसे न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।

42. वादी मुकदमा आजाद सैनी द्वारा थानाध्यक्ष रामपुर को दिनांक 16.07.2013 को एक प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–3 दिया गया जिसमें उसने दिनांक 15.07.2013 को दिन के करीब 2 बजे उसके ताऊ तेजपाल के घर उसके स्वयं और उसके पिता पूरन सिंह व ताऊ तेजपाल के सामने शिवकुमार, प्रमोद व गांव सागरखेड़ा के मुर्सलीन का आना और प्रमोद द्वारा मुर्सलीन के साथ मिलकर विकास की हत्या किये जाने की न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति किया जाना बताया है। इस प्रकार से अभियोजन कथानक में घटना के तीन कथानक दृष्टिगोचर होते हैं। प्रथमतः तो विकास का डी.जे बजाने के लिए प्रवीण पुत्र मांगेराम के यहां जाना और वहां से रात को किसी समय आना और अगली सुबह गीता द्वारा उसे लेटा हुआ देखना। द्वितीयतः जितेन्द्र व तरुण उर्फ हल्लू द्वारा विकास को मोटरसाइकिल से लेकर आना और उसे वहां छोड़कर गीता से कहना कि इसे ज्यादा नशा हो गया है और यह कहकर चले जाना। तृतीयतः शिवकुमार, मुर्सलीन व प्रमोद का दिनांक 15.07.2013 को तेजपाल के घर अपराध की न्यायिकेतर संस्वीकृति करना है।

43. बचाव पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि घटना के समय मृतक विकास के भाई अनिल व उसकी बुआ गीता घर पर मौजूद थे परन्तु उन्हें न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है तथा अभियोजन द्वारा महत्वपूर्ण साक्षी न्यायालय में परीक्षित नहीं कराये गये हैं जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा इसका विरोध किया गया है।

44. प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 21.06.2012 की रात्रि को मृतक विकास गांव के ही प्रवीण पुत्र मांगेराम के यहां डी.जे. बजाने गया था। विकास की बुआ गीता भी अपनी ससुराल से आयी हुई थी। उसके बुआ ने सुबह 5 बजे विकास को उठाने की कोशिश की तो वह नहीं उठा तो उसने वादी मुकदमा व परिवार के लोगों के बताया। यह लोग विकास को लेकर सरकारी अस्पताल रामपुर गये जहां डाक्टर ने उसे मृतक घोषित कर दिया। मृतक के पिता पूरन सिंह द्वारा प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 156(3) दं.प्र.सं. में भी गीता द्वारा मृतक को जितेन्द्र व तरुण उर्फ हल्लू द्वारा सुबह 4.30 बजे छोड़ने आना बताया है और गीता से यह कहना भी बताया है कि उसे नशा हो गया है। इस प्रकार से यह निर्विवादित है कि गीता ने ही सबसे पहले मृतक विकास को मृत अवस्था में देखा था। यह साक्षी यह भी बता सकता था कि क्या मृतक विकास को गांव में प्रवीण के साले जितेन्द्र व तरुण उर्फ हल्लू छोड़कर यह कहकर गये थे कि उसे ज्यादा नशा हो गया है परन्तु अभियोजन की ओर से इस साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

45. वादी ने अपने बयान में बताया है कि उसने विकास को रात करीब 10 बजे फोन किया था तो उसने कहा कि तुम लोग लेट जाओ, दरवाजे का कुण्डा मत लगाना, वह वापस आकर खुद लगा लेगा। अभियोजन साक्ष्य में यह भी आया है कि अनिल उस दिन घर पर ही मौजूद था परन्तु अनिल को भी अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया गया है। यह दोनों महत्वपूर्ण साक्षी थे जो इस बात पर प्रकाश डाल सकते थे कि मृतक विकास घर में कैसे आया एवं क्या जितेन्द्र व तरुण उर्फ हल्लू उसे लेकर आये थे।

इसके अतिरिक्त तेजपाल के समक्ष कथित रूप से शिवकुमार, प्रमोद व मुर्सलीन द्वारा न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति की गयी परन्तु उसे भी अभियोजन की ओर से परीक्षित नहीं कराया गया वरन उस समय वहां मौजूद वादी मुकदमा आजाद व मृतक विकास के पिता पूरन सिंह को परीक्षित कराया गया है।

46. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **ताखाजी हीराजी बनाम ठाकुर कुबेरसिंग चमनसिंग (2001) मामला (2001) 6 एससीसी 145**, में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि कोई महत्वपूर्ण गवाह, जो घटना की उत्पत्ति या अभियोजन पक्ष के मामले के एक आवश्यक भाग को स्पष्ट कर सकता है, अन्यथा ठोस रूप से सामने नहीं लाया गया है, या जहां अभियोजन पक्ष के मामले में कोई कमी या खामी है जिसे उपलब्ध होने के बावजूद किसी ऐसे गवाह की जांच करके दूर किया जा सकता था जिसकी जांच नहीं की गई है, तो अभियोजन पक्ष के मामले को अपूर्ण माना जा सकता है और ऐसे महत्वपूर्ण गवाह को पेश न करने से न्यायालय को अभियोजन पक्ष के विरुद्ध प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, यह मानते हुए कि यदि गवाह की जांच की गई होती तो वह अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करता। प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसा ही है।

47. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण शिवकुमार, मुर्सलीन व प्रमोद द्वारा की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त प्रमोद को दोषसिद्ध किया जा सकता है?

48. प्रस्तुत प्रकरण में उल्लेखनीय है कि घटना का कोई चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है अतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य एवं न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति के आधार पर ही न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या अभियुक्त प्रमोद द्वारा विकास की हत्या की गयी।

49. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **विजय कुमार बनाम राजस्थान राज्य (2014) 3 एस.सी.सी. 412** में प्रतिवादित सिद्धान्तों के अनुसार परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के मामले में दोषसिद्धि हेतु निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक माना गया है–

1– परिस्थितियां जिनसे कि दोषसिद्धि निष्कर्ष निकाला जा रहा है उन्हें ठोस रूप से स्थापित होना चाहिए।

2– ऐसी परिस्थितियों द्वारा बिना किसी गलती के प्रत्येक अवस्था में अभियुक्त की दोषसिद्धि की ओर इशारा करना चाहिए।

3– परिस्थितियाँ यदि समग्र रूप से ली जाये तो ऐसी परिस्थितियां इस प्रकार की श्रृखला बनाये जिससे केवल और केवल यही निष्कर्ष निकाला जा सकता हो कि घटना अभियुक्त द्वारा ही कारित की गयी है अन्य किसी के द्वारा नहीं।

4– परिस्थितिजन्य साक्ष्य में दोषसिद्धि बरकरार रखने के लिए ऐसा साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और ऐसे साक्ष्य से अभियुक्त की दोषसिद्धि के अलावा अन्य किसी स्पष्टीकरण की परिकल्पना न की जा सके।

50. बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि मृतक की मृत्यु सल्फास खाने से हुई, उसने आत्महत्या की अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाए। विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा इसका विरोध किया गया है। यह सही है कि प्रारम्भिक जांच में गवाहान के बयानात अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. में यह अंकित किया गया कि मृतक विकास के मुंह से सल्फास जैसी दुर्गन्ध

आ रही थी। यहां यह उल्लेखनीय है कि न्यायालय में वादी मुकदमा ने ऐसा कोई बयान विवेचक को देने से इंकार किया है। इसके अतिरिक्त पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श क–9 में ऐसी दुर्गन्ध मृतक के मुंह से आने का अंकन नहीं किया गया है वरन मृत्यु का कारण मृत्यु पूर्व दम घुटने से होना बताया है। इसी प्रकार से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक के गले में लिगेचर का निशान दर्शाया गया है। मृतक के पंचनामा प्रदर्श क–10 के अनुसार मृतक के गले पर चोट का निशान दर्शाया गया है अन्य कोई निशान नहीं दर्शाया गया है। यद्यपि उसके मुंह से तेज दुर्गन्ध आना दर्शाया गया है तथापि ऐसा नहीं दर्शाया गया है कि यह दुर्गन्ध सल्फास की थी। इस प्रकार से बचाव पक्ष के इस तर्क में कोई बल नहीं पाया जाता है कि मृतक की मृत्यु सल्फास खाने से हुई।

51. बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि गवाह अनिल जो कि दिनांक 22.06.2012 को वादी के घर पर मौजूद था, ने अपने मजीद बयान दिनांकित 25.12.2012 में विकास की हत्या प्रवीन पुत्र मांगेराम द्वारा करना ही बताया है तथा यह भी बताया है कि प्रवीण पुत्र मांगेराम के साथ डी.जे. बजाने को लेकर उसका झगड़ा हुआ था और विकास को वहां से लेकर प्रवीण ही आया था और रास्ते में घनश्याम की दुकान से सिगरेट ली थी। ऐसा ही बयान उसके पिता पूरन सिंह द्वारा किया गया है। इसका समर्थन रमेशचन्द पुत्र सोवत, जगपाल पुत्र फूलसिंह, यशपाल पुत्र नगीना, जबरसिंह पुत्र पहल सिंह, रामसिंह पुत्र नानूसिंह, महेन्द्र सिंह पुत्र मौजी, आनन्द पुत्र खुशीराम, रानू पुत्र ईशम सिंह ने भी किया है। जबकि श्यामलाल पुत्र बनवारीलाल दिनांक 21.06.2012 को डी.जे. को लेकर विकास तथा प्रवीण में धक्का मुक्की, गाली–गलौज, विकास द्वारा शराब पीना, प्रवीण द्वारा उसे देख लेने की धमकी देना और रात में करीब 1.30 बजे प्रवीण व विकास का साथ–साथ विकास के घर की तरफ जाते देखना बताया है, परन्तु अभियोजन द्वारा इस साक्षी को भी परीक्षित नहीं कराया गया है। दिनांक 08.06.2013 को प्रथम बार गवाह द्वारा विवेचक को यह बताया गया कि इस हत्या के पीछे प्रमोद पुत्र तेजपाल का हाथ होने की पूर्ण संभावना है। दिनांक 27.06.2013 को शिवकुमार, प्रमोद व मुर्सलीन के राजकुमार पुत्र निरजंन सिंह के सामने सुबह 10 बजे एवं नीटू पुत्र श्रीपाल सिंह के सामने दिनांक 27.06.2013 को ही शाम 4 बजे शिवकुमार, प्रमोद व मुर्सलीन का आकर जुर्म इकबाल करना बताया गया और विवेचक द्वारा मात्र इन 2 बयानों के आधार पर ही पर्चा संख्या 46 में प्रवीण की नामजदगी गलत पायी गयी।

52. इस परीक्षित विवेचक द्वारा दिनांक 22.07.2013 को अभियुक्त प्रमोद की गिरफ्तारी के पश्चात उसके जुर्म इकबाल केस डायरी में दर्शाया गया है जिसमें प्रमोद ने अपने बयान अंतर्गत धारा 161 दं.प्र.सं. में बताया कि वह अपने चचेरी बहन निशा के साथ विकास के अवैध संबंध को लेकर व विकास द्वारा उसकी बहन को न छोड़ने के लेकर परेशान था। उसने अपनी सारी समस्या मुर्सलीन को बतायी और दोनों विकास को सबक सिखाने के लिए तैयार हो गये और योजना बनाकर एक मीटर केबिल अपने साथ लेकर तथा जैसे ही विकास डी.जे. छोड़कर अपने घर अपने कमरे में पहुंचा तो उसके पीछे–पीछे दोनों लोग पहुंच गये और निशा के साथ अवैध संबंध तोड़े के लिए कहा लेकिन विकास नहीं माना तो मुर्सलीन ने गले में केबिल डाकर गला घोंट दिया और केबिल को पन्नी में बांधकर बेड में पड़े कपड़ों में छिपा दिया। इस प्रकार से अभियुक्त प्रमोद द्वारा एक अलग ही कथानक बताया गया है जिसमें विकास की हत्या उसके घर में घुसकर प्रमोद व मुर्सलीन द्वारी किया जाना बताया है।

53. बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क दिया गया कि पुलिस अभिरक्षा में दिया गया जुर्म इकबाल साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होता। यह सही है कि विधि अनुसार पुलिस अभिरक्षा में की गयी अपराध की संस्वीकृति साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होती। यह सही है कि इस बाबत अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 10 वेगपाल सिंह द्वारा अभियुक्त को दिल्ली सहारनपुर रोड से गिरफ्तार किया जाना और उससे पूछताछ के दौरान घटना को कारित करना बताया है तथा अभियुक्त प्रमोद की निशांदेही पर आला कत्ल केबिल को बरामद होना बताया है। उल्लेखनीय है कि उक्त केबिल को अभियोजन की ओर से न्यायालय में प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं किया गया है और न ही इस साक्षी वेगपाल जिसके द्वारा उक्त केबिल बरामद किया गया है, कथित केबिल की शिनाख्त की गयी है। इसके अतिरिक्त फर्द बरामदगी के साक्षी नूरहसन व तेजपाल को जो कि स्वतंत्र साक्षी हैं, अभियोजन की ओर से न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है।

54. उल्लेखनीय है कि इस विवेचक वेगपाल द्वारा अभियुक्त को दिनांक 22.07.2013 को गिरफ्तार किया गया था उसकी निशांदेही पर आलाकत्ल केबिल बरामद करना बताया है यहां यह उल्लेखनीय है कि धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार– **अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी–** परन्तु जब किसी तथ्य के बारे में यह अभिसाध्य दिया जाता है कि किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति से, जो पुलिस आफिसर की अभिरक्षा में हो, प्राप्त जानकारी के परिणामस्वरूप उसका ना चला है, तब ऐसी जानकारी में से, उतना चाहे वह संस्वीकृति की कोटि में आती हो या नहीं, जितनी एतद्वारा पता चले हुए तथ्य स्पष्टतया संबंधित है, साबित की जा सकेगी।

55. उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में विवेचक द्वारा अभियुक्त का डिस्क्लोजर स्टेटमैन्ट को सिद्ध नहीं किया गया है, न ही उसने अपने बयान में यह बताया कि अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा के दौरान उसे यह बताया गया कि उसने प्रमोद की हत्या में प्रयोग किया गया आला कत्ल उसी जगह छिपा कर रखा है तथा वह उसे बरामद करा सकता है तथा उसके इस कथन पर थाना पुलिस उसके साथ उस स्थान पर गयी जिस स्थान पर अभियुक्त ने आलाकत्ल छिपा रखा था। उसके द्वारा ही अमुक स्थान से आलाकत्ल बरामद कराया गया ऐसा कोई बयान विवेचक द्वारा अपने साक्ष्य में नहीं दिया गया है। ऐसे में डिस्क्लोजर स्टेटमैन्ट को अभियोजन पक्ष सिद्ध नहीं कर पाया है। इसके अतिरिक्त न तो कथित बरामद आलाकत्ल केबिल को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सिद्ध कराया गया है और न ही स्वतंत्र साक्षीगण नूरहसन व तेजपाल को न्यायालय में परीक्षित कराया गया है। ऐसे में पुलिस द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत की गयी आलाकत्ल की बरामदगी संदिग्ध हो जाती है।

56. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **बाबी बनाम केरल राज्य 2023 आई.एन.एस.सी. 23** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यदि अभियुक्त का डिस्क्लोजर स्टेटमैन्ट को सिद्ध नहीं किया गया है ऐसी बरामदगी धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत नहीं होती।

57. जहां तक घटना के एक साल से भी अधिक पश्चात शिवकुमार, प्रमोद व मुर्सलीन का वादी मुकदमा के ताऊ तेजपाल के समक्ष जुर्म इकबाल किये जाने का प्रश्न है तो प्रथमतः तो अभियोजन की ओर से उक्त तेजपाल को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। जबकि अभियुक्तगण की मात्र न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति के आधार पर दोषसिद्धि के लिए न केवल उक्त न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति को सिद्ध करना होगा वरन यह भी सिद्ध करना होगा कि जिस व्यक्ति के समक्ष ऐसी अपराध संस्वीकृति इस आशय से कि गयी थी कि वह व्यक्ति अभियुक्तगण को अपराध से बचा लेगा, वह व्यक्ति इस स्थिति में हो कि वह वादी

मुकदमा से ऐसे तथ्य कह सकता है वरन अपनी बात मनवा सकता है। ऐसा कोई कथन अभियोजन की ओर से नहीं किया गया है। जहां तक नीटू तथा राजकुमार के समक्ष दिनांक 27.06.1.2013 को अभियुक्तगण द्वारा न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति किये जाने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि यह व्यक्ति नीटू वादी मुकदमा आजाद सैनी की बुआ का पति है और वादी मुकदमा व मृतक का सगा फूफा है।

58. यह तथ्य स्वयं में आश्चर्यजनक एवं अस्वाभाविक है कि दिनांक 27.06.2013 को कथित रूप से जुर्म इकबाल करने के बाद भी इस साक्षी पी.डब्लू. 13 द्वारा वादी पक्ष को कुछ नहीं बताया गया। जहां तक अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 14 राजकुमार का प्रश्न है तो इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसने न कोई घटना देखी, न ही उसने अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. में किसी अभियुक्त का नाम बताया जबकि इस साक्षी के बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. प्रदर्श क–21 में शिवकुमार का प्रमोद व मुर्सलीन को साथ आना और शिवकुमार, प्रमोद द्वारा उसे कहना कि उसके भतीजे से कुछ गलती हो गयी है। उन लोगों से जो गलती हो गयी है उसे माफ करवा दे क्योंकि पूरन सिंह उनका जानने वाला है। उल्लेखनीय है कि इस साक्षी द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा 164 दं.प्र.सं. में यह नहीं बताया गया है कि उक्त अभियुक्तगण ने उसे विकास की हत्या की न्यायिकेतर संस्वीकृति की थी केवल कुछ होने और माफ करवा देना ही बताया है।

59. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **सहादेवन बनाम तमिलनाडू राज्य** (2010) **10 एस.सी.सी. 604** में विधि का यह सिद्धान प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितजन्य साक्ष्य पर आधारित किसी प्रकरण में परिस्थितियों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला जिससे कि अभियुक्त द्वारा ही घटना कारित किया जाना इंगित होता हो, को सिद्ध करना का भार अभियोजन पर होता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि का यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया गया है कि परिस्थितजन्य साक्ष्य के प्रकरण में जहां पर अभियोजन न्यायिकेतर संस्वीकृति पर अपना मामला आधारित करता है तो वहां पर ऐसे मामले को न्यायालय को अत्यधिक सावधानीपूर्वक विश्लेषित करना चाहिए। कोई न्यायिकेतर संस्वीकृति यदि ऐसी स्वेचछा से की गयी है एवं सिद्ध है तथा स्वस्थ मस्तिष्क से की गयी है तो न्यायालय इस पर विश्वास कर सकता है परन्तु ऐसी अपराध संस्वीकृति किसी अन्य तथ्य की भांति सिद्ध होनी आवश्यक है। इस तरह की संस्वीकृति साक्षी की विश्वसनीयता पर आधारित होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि का यह सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया है कि अपराध संस्वीकृति एक कमजोर प्रकार का साक्ष्य है यदि न्यायालय को ऐसे साक्षी के आधार पर दोषसिद्धि करनी हो तो उसे सिद्ध करना होगा कि ऐसी अपराध संस्वीकृति न्यायालय को विश्वास जगाती है एवं अभियोजन के अन्य साक्ष्य से पुष्ट हो रही हो यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति में सारवान विरोधाभाष हो या स्वाभाविक रूप से असंभव हो और ठीक प्रतीत नहीं होती हो ऐसे साक्ष्य पर विश्वास नहीं किया जा सकता। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि–

"Upon an indepth analysis of judicial precedents, this Court in Sahadevan (supra) summed up the principles which would make an extra–judicial confession an admissible piece of evidence capable of forming the basis of conviction of an accused:(i) The extra–judicial confession is a weak evidence by itself. It has to be examined by the court with greater care and caution.

(ii) It should be made voluntarily and should be truthful.

(iii) It should inspire confidence.

(iv) An extra–judicial confession attains greater credibility and evidentiary value if it is supported by a chain of cogent circumstances and is further corroborated by other prosecution evidence.

(v) For an extra–judicial confession to be the basis of conviction, it should not suffer from any material discrepancies and inherent improbabilities.

(vi) Such statement essentially has to be proved like any other fact and in accordance with law."

60. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **रामूअप्पा महापातर बनाम महाराष्ट्र राज्य 2025 आई.एन.एस.सी. 147 दाण्डिक अपील संख्या 608 सन् 2013 निर्णय दिनांक 04.02.2025** में भी विधि का यही सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **कलिंग उर्फ कौशल बनाम कर्नाटक राज्य द्वारा पुलिस निरीक्षक हुबली 2024 आई.एऩ.एस.सी. 124 दाण्डिक अपील संख्या 622 सन् 2013 निर्णीत दिनांक 20.02.2024** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति को स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए यदि न्यायिकेतर संस्वीकृति पत्रावली पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य से समर्थित नहीं है तो ऐसा साक्ष्य न्यायालय को विश्वास नहीं जगाता है और ऐसे साक्ष्य को दोषसिद्धि के उद्देश्य के लिए मजबूत साक्ष्य नहीं माना जा सकता।

61. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **देवीलाल बनाम राजस्थान राज्य (2019) एस.सी.सी. 447** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि यह सत्य है कि न्यायिकेतर संस्वीकृति का उपयोग उसके करने वाले के विरुद्ध किया जा सकता है परन्तु यह न्यायालय के लिए विचारणीय है कि न्यायालय ऐसे मामलों में अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्य की पुष्टि हेतु विश्लेषित करे।

62. माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि–व्यवस्था **गोपाल शाह बनाम बिहार राज्य (2008) 17 एस.सी.सी. 128** में विधि का यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति प्रथम दृष्टया एक कमजोर प्रकृति का साक्ष्य है एवं किसी ठोस परिस्थितजन्य साक्ष्य की श्रृंखला के बिना ऐसे साक्ष्य पर विश्वास करके अभियुक्त को दोषसिद्ध नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार का अभिमत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि–व्यवस्था **निखिल चन्द्र मोण्डल बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (2023)3 एस.सी.सी. 605** में दिया गया है। माननीय उच्चतम न्यायाल द्वारा विधि व्यवस्था **रतनू यादव बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2024 आई.एन.एस.सी. 487 दाण्डिक अपील संख्या 1635 सन् 2018 निर्णीत दिनांकित 09.07.2024** में भी विधि का यही सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है।

63. प्रस्तुत प्रकरण में भी अभियुक्तगण शिवकुमार, प्रमोद व मुर्सलीन द्वारा कथित रूप से तेजपाल,वादी मुकदमा पूरन सिंह, नीटू व राजकुमार के समक्ष की गयी न्यायिकेतर संस्वीकृति के सावधानीपूर्वक विश्लेषण से यह तथ्य सामने आता है कि ऐसे बयान घटना के तुरन्त बाद नहीं किया गया

है वरन घटना के 1 वर्ष से भी अधिक समय पश्चात किया गया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन की ओर से कई महत्वपूर्ण साक्षीगण यथा गीता व अनिल आदि को न्यायालय में परीक्षित नहीं कराया गया है। न्यायिकेतर संस्वीकृति को पुष्ट करने के लिए भी कोई साक्ष्य अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है न ही कोई ऐसा साक्षी न्यायालय में परीक्षित कराया है जिसने अंतिम बार मृतक विकास को अभियुक्त के साथ देखा हो।

64. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि साधारणतया बिना किसी विशेष कारण के कोई व्यक्ति जिसकी कोई जांच में नहीं चल रही हो स्वंय ही आकर अपने अपराध को स्वीकार करेगा। प्रकरण में जो कथित आलाकत्ल की बरामदगी दर्शायी गयी है प्रथमतः तो यह अस्वाभाविक है कि कोई व्यक्ति जिसने किसी का कत्ल किया हो वह आला कल्त को उसी मृतक के घर में छिपाकर रखेगा और लगभग 13 माह के पश्चात उसे वहीं से वह केबिल मिल जाएगा। द्वितीयतः यदि मृतक विकास की हत्या कमरे के अन्दर हुई तो गीता ने जितन्द्र व तरुण उर्फ हल्लू को विकास को लिटाते हुए कैसे देख लिया। आलाकत्ल को भी न्यायालय में प्रस्तुत कर सिद्ध नहीं कराया गया है। विवेचक जिसने कथित रूप से अभियुक्त की निशानदेही पर आलाकत्ल बरामद किया उस साक्षी द्वारा अभियुक्त प्रमोद का डिस्क्लोजर स्टेटमैन्ट भी सिद्ध नहीं किया गया है। अतः बरामदगी भी संदेहास्पद सिद्ध हो जाती है। अभियोजन साक्षी पी.डब्लू. 13 नीटू एवं स्वयं वादी मुकदमा मृतक भाई वादी का पिता पूरन सिंह द्वारा वादी के ताऊ तेजपाल के सामने अभियुक्तगण द्वारा जुर्म इकबाल किये जाने के बावजूद भी उन्हें पकड़ने का प्रयास न करना घटना की बाबत अभियुक्त द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति किये जाने को संदिग्ध बनाता है।

65. अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य घटनाक्रम की कड़ियों को एक दूसरे से न तो जोड़ती प्रतीत हो रही हैं और न ही एकल रूप से उन्हें सिद्ध किया गया है, न ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त है कि घटना केवल और केवल अभियुक्त प्रमोद द्वारा ही की गयी है। अतः घटनाक्रम की कड़ियाँ ऐसी कोई श्रृंखला बनाती हुई प्रतीत नहीं होती हैं जिससे कि उक्त घटना अभियुक्त द्वारा कारित किया जाना सिद्ध होता हो।

66. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक विकास की मृत्यु पूर्व निम्न चोटें आयी– लिगेचर मार्क 22 गुणा 3 सेमी. गर्दन के सामने सामानान्तर जो ठोड़ी से 3 सेमी. नीचे तथा दायी मेन्डेबल से 2 सेमी नीचे तथा बायीं मेन्डेबल से 3 सेमी नीचे थी। चोट के नीचे त्वचा वहाँ पर खून लगा हुआ था। ट्रैकियल रिंग टूटी हुई थी। पोस्टमार्टम करने वाले डाक्टर पी.डब्लू. 5 जे.के. निगम द्वारा मृत्यु का कारण दम घटुना जो कि मृत्यु से पूर्व गला घोटने के कारण प्रतीत होती है। इस साक्षी ने यह भी बताया है कि मृतक के शरीर पर 1 लिगेचर मार्क के अलावा अन्य कोई चोट नहीं पायी गयी थी।

67. जहां तक अभियुक्त के अन्य सहअभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र करके मृतक विकास की हत्या किये जाने का प्रश्न है तो उल्लेखनीय है कि विवेचक द्वारा न्यायिकेतर संस्वीकृति के आधार पर अभियुक्त प्रमोद के विरुद्ध आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया। यह भी उल्लेखनीय है कि यदि नीटू, राजकुमार एवं तेजपाल के पास न्यायिकेतर अपराध संस्वीकृति की गयी एवं अभियुक्तगण शिवकुमार, प्रमोद व मुर्सलीन तीनों ने ही जुर्म इकबाल किया था तो फिर विवेचक द्वारा अभियुक्तगण शिवकुमार व मुर्सलीन के विरुद्ध कोई अपराध न पाते हुए केवल अभियुक्त प्रमोद के विरुद्ध ही आरोपपत्र प्रस्तुत क्यों किया गया। उल्लेखनीय है कि इन अभियुक्तगण मुर्सलीन व शिवकुमार को न्यायालय द्वारा धारा 319 दं.प्र.सं. के

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने के आधार पर पारित आदेश द्वारा न्यायालय में तलब किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त प्रमोद द्वारा अन्य अभियुक्तगण से आपराधिक षडयंत्र करके मृतक विकास की हत्या किये जाने का पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

68. विधि व्यवस्था **विक्रमजीत सिंह बनाम स्टेट आफ पंजाब 2007 सी0आर0एल0जे0 1000** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि संदेह, विधिक प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता।

69. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **श्री दादा खालेन्द्र बनाम स्टेट क्रिमनल अपील–100162/2015 दिनांकित 22.03.2017** में यह विधि दृष्टिकोण दिया गया है कि अभियोजन को अपना वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है और इसमें यदि कोई संदेह होता है और उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण अभियोजन द्वारा नहीं दिया जाता तो संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

70. किसी आपराधिक वाद में अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी विधि व्यवस्था **सुखदेव यादव बनाम स्टेट ऑफ बिहार ए.आई.आर. 2001 सुप्रीम कोर्ट पेज 3678** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"यह अभियोजन का कर्तव्य है कि वह अपना केस निश्चितता के संदेह से परे साबित करे। अभियोजन के केस में आए संदेह का लाभ अभियुक्त पाने का हकदार है।"

71. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपनी सम्मानित विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम शीशपाल ए.आई.आर. 2016 कोर्ट पृष्ठ 4958** एवं **खेखराम बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य 2018 (1) जे.आई.सी. पेज 207 एस.सी.** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि–

"अपराधिक विधिशास्त्र का यह मूलभूत सिद्धान्त है कि अभियोजन को अपना मामला अभियुक्त को दोषसिद्ध ठहराने के लिए सभी तर्क संगतपूर्ण संदेह से परे साबित करना होगा। अपने मामले को सभी तर्कपूर्ण संदेह से परे साबित करने का भार हमेशा अभियोजन पर होता है और यह भार कभी नहीं बदलता।"

72. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित विधि व्यवस्था **विजयी सिंह बनाम उ०प्र० राज्य 1990 ए.आई.आर. 1459 SC** में यह अवधारित किया गया है कि–

"अभियुक्तगण के विरुद्ध लगाये गये आरोपों को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन पर होता है। यदि अभियोजन कथानक में संदेह रह जाता है और वह युक्ति–युक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहता है तो अभियुक्तगण को दोष मुक्त किया जा सकता है।"

73. इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों एवं साक्ष्यों के विश्लेषण एवं संदर्भित विधि व्यवस्थाओं के आलोक से यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त प्रमोद द्वारा आरोपित अपराध को कारित किये जाने के आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा है एवं न्यायालय के मस्तिष्क में अभियुक्त द्वारा उक्त आरोपित अपराध कारित किये जाने के सम्बन्ध में युक्तियुक्त संदेह उत्पन्न हो गया है, जिसका लाभ विधि के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है। तद्नुसार संदेह का लाभ पाते हुए सत्र परीक्षण संख्या–652/2015 सरकार बनाम प्रमोद में अभियुक्त प्रमोद धारा 302, 120बी भा.दं.सं. में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

सत्र परीक्षण संख्या–652/2015 सरकार बनाम प्रमोद में अभियुक्त प्रमोद धारा 302, 120बी भा.दं.सं. में संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

प्रकरण में अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त प्रमोद व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं एवं उसके जामीनदारों को जमानत के उत्तरदायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

(विकास गुप्ता)
दिनांक 13.04.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।
आई.डी.– यू0 पी0 6228

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

(विकास गुप्ता)
दिनांक 13.04.2026 अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या–3, सहारनपुर।
आई.डी.– यू0 पी0 6228

Digitally signed by VIKAS GUPTA
Date: 2026.04.20 11:11:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court